विभागों / बोर्डों / निगमों की उपलब्धियां

3

कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र

मजबूत बुनियादी सुविधाओं कृषि अनुसंधान तथा बेहतरीन कृषि के तरीकों सम्बन्धी जानकारियों का किसानों में उत्कृष्ट प्रसारण होने से कृषि पैदावार में ठोस परिणाम मिले तथा जिससे राज्य एक खाद्य अधिशेष राज्य बन गया है। राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

3.2 हरियाणा, उत्तरी भारत में एक लैंड लॉक राज्य है। यह 27°39′ से 30°35′ अक्षांश व 74°28′ से 77°36′ देशांतर के बीच स्थित है। हरियाणा गर्मियों में अत्यंत गर्म (45°C/113°F के आसपास) व सर्दियों में सौम्य सर्द रहता है। मई व जून सबसे गर्म तथा दिसम्बर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते है। राज्य में माहवार हुई वास्तविक वर्षा व सामान्य वर्षा का विवरण **तालिका 3.1 व 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1– जनवरी से जून, 2022 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला–वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	148.9	41.1	25.6	42.7	0.0	25.0	0.0	11.1	31.6	17.8	42.9	75.5
भिवानी	34.7	11.4	2.3	9.6	0.0	6.4	0.0	2.9	18.2	6.6	34.0	28.5
चरखी दादरी	51.3	16.5	9.0	10.7	0.0	12.3	0.0	1.1	33.7	10.2	40.3	35.0
फरीदाबाद	73.9	20.5	15.8	17.1	0.0	12.9	0.0	10.1	62.0	8.7	37.6	52.8
फतेहाबाद	35.0	13.0	12.0	12.4	0.0	11.5	0.3	6.1	33.1	8.2	62.7	30.4
गुरूग्राम	97.0	14.2	14.1	13.2	0.0	8.1	0.0	4.7	70.8	7.7	44.1	36.4
हिसार	50.2	15.6	5.5	13.7	0.0	11.8	2.4	7.1	30.2	11.5	62.9	35.1
झज्जर	78.5	10.9	9.1	10.3	0.0	6.1	0.0	3.5	27.2	6.8	38.4	28.3
जींद	71.9	14.9	21.9	13.8	0.0	8.2	0.7	4.2	36.3	11.0	112.4	31.3
कैथल	75.9	20.6	24.1	17.6	0.0	13.3	0.6	8.6	39.9	10.2	41.4	34.6
करनाल	77.6	33.9	26.8	24.8	0.0	18.1	0.0	9.3	30.4	10.2	29.8	51.1
कुरूक्षेत्र	112.3	30.2	47.2	28.7	0.0	17.7	0.0	10.0	71.3	9.5	67.0	55.0
महेन्द्रगढ़	55.6	9.0	4.7	10.1	0.0	7.0	0.3	5.3	10.8	18.7	34.6	37.0
(नूंह) मेवात	89.2	13.3	8.6	12.4	0.0	9.8	0.0	4.8	24.4	9.9	48.4	40.0
पलवल	58.6	12.5	14.8	11.2	0.0	8.9	0.0	4.5	18.6	8.0	45.0	38.6
पंचकूला	166.2	51.2	39.2	38.2	0.0	30.3	0.6	3.2	38.2	25.3	92.8	62.7
पानीपत	89.8	23.5	20.0	19.3	0.0	13.5	0.0	8.7	34.4	10.7	27.3	47.7
रेवाड़ी	73.0	9.5	10.9	11.1	0.0	6.9	1.6	2.9	23.2	8.0	79.8	31.2
रोहतक	51.8	16.6	7.6	14.8	0.0	11.4	0.0	6.8	26.5	10.1	41.7	38.5
सिरसा	47.6	11.4	4.9	10.6	0.0	9.4	0.0	4.4	8.1	7.7	44.1	29.5
सोनीपत	98.7	21.3	17.3	15.9	0.0	12.4	0.0	5.3	38.7	10.7	26.7	42.7
यमुनानगर	168.6	42.4	44.9	36.6	0.0	19.9	0.4	8.6	45.5	18.6	44.3	80.3

वाः वास्तविक, साः सामान्य स्त्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.2–जुलाई से दिसम्बर, 2022 के दौरान हुई वास्तविक और सामान्य वर्षा का जिला–वार मासिक औसत

(मि.मी.)

जिला	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.	वा.	सा.
अम्बाला	197.9	259.7	29.0	238.5	220.1	156.0	30.6	25.5	0.0	6.0	0.0	16.5
भिवानी	42.0	111.3	55.8	104.6	53.0	63.9	10.0	9.6	0.0	2.8	0.0	3.5
चरखी दादरी	216.7	168.1	86.3	191.8	90.3	94.5	37.3	35.6	0.0	1.6	0.0	3.3
फरीदाबाद	50.1	192.7	88.4	167.3	239.9	123.6	121.5	23.7	0.0	2.4	0.0	6.6
फतेहाबाद	238.7	101.4	67.0	94.9	229.1	62.3	15.3	10.2	0.0	1.4	0.0	6.3
गुरूग्राम	179.4	167.6	73.9	158.0	263.3	103.6	91.2	18.1	0.0	2.2	0.0	4.8
हिसार	239.9	114.2	68.8	115.6	122.3	71.8	2.1	13.2	3.0	3.1	0.0	6.1
झज्जर	321.6	117.2	63.0	119.0	195.2	71.4	38.8	11.9	0.0	2.4	0.0	3.4
जींद	274.7	149.2	50.1	169.8	72.8	97.6	6.0	13.1	0.0	3.8	0.0	6.0
कैथल	55.6	130.5	59.7	127.4	96.7	91.6	5.0	12.8	0.0	2.0	0.0	6.5
करनाल	262.8	204.3	79.1	235.7	163.1	131.2	8.9	28.9	0.0	4.4	0.0	9.9
कुरूक्षेत्र	56.8	186.1	31.3	165.4	194.2	122.2	21.8	17.8	0.0	3.7	0.0	10.9
महेन्द्रगढ़	88.8	149.7	68.3	186.9	135.5	85.8	53.2	28.1	0.0	1.2	0.0	5.3
(नूंह) मेवात	182.2	164.0	78.8	176.0	209.6	104.8	129.6	19.0	0.0	2.7	0.0	5.4
पलवल	12.6	163.7	95.0	153.3	124.8	108.1	155.4	18.4	0.0	1.8	0.0	4.8
पंचकूला	344.0	296.8	166.2	350.1	162.4	167.6	50.2	29.9	0.0	12.5	0.0	8.3
पानीपत	107.4	176.9	100.8	180.4	162.0	112.9	19.6	18.3	0.0	3.4	0.0	8.3
रेवाड़ी	29.0	128.6	48.4	146.3	149.4	84.0	55.9	13.0	0.6	2.8	0.0	3.5
रोहतक	272.9	145.9	38.7	137.0	96.9	97.9	12.9	12.7	0.0	2.2	0.0	6.1
सिरसा	135.4	88.7	62.4	80.7	21.4	59.6	0.0	8.4	0.0	2.1	0.0	6.4
सोनीपत	221.8	160.0	104.2	160.7	147.5	100.1	25.7	16.4	0.0	2.8	0.0	7.3
यमुनानगर	277.1	258.4	93.1	255.2	214.6	157.7	37.3	27.1	0.0	5.3	0.0	12.4

वाः वास्तविक, साः सामान्य, स्त्रोतः भूमि विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.3 –मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

("000" हैक्टेयर)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास	तिलहन	कुल बोया गया क्षेत्र
1966–67	743	192	3520	150	183	212	4599
1970–71	1129	269	3868	156	193	143	4957
1980–81	1479	484	3963	113	316	311	5462
1990–91	1850	661	4079	148	491	489	5919
2000–01	2355	1054	4340	143	555	420	6115
2005–06	2303	1047	4311	129	584	736	6509
2010–11	2504	1243	4702	85	493	521	6499
2015–16	2576	1353	4451	93	615	526	6502
2019–20	2534	1559	4708	96	723	660	6617
2020–21	2564	1528	4796	99	740	672	6618*
2021–22	2305	1530	4474	108	636	911	6620*

*: अनन्तिम स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

3.3 राज्य में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र **तालिका 3.3 व आकृति 3.1** में दर्शाया गया है। राज्य में 1966–67 में सकल बोया गया क्षेत्र 45.99 लाख हैक्टेयर था। यद्यपि वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में सकल बोया गया अनुमानित क्षेत्र 66.20 लाख हैक्टयेर है। वर्ष 2021–22 में राज्य में गेहूं तथा चावल की फसलों के अधीन क्षेत्र की कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशतता 57.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2021–22 में गेहूं के अधीन क्षेत्र 23.05 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 2021–22 के दौरान चावल के अधीन 15.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था। व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, कपास तथा तिलहन के अधीन क्षेत्र में प्रतिवर्ष उतार–चढ़ाव रहा है।

आकृति 3.1– हरियाणा में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

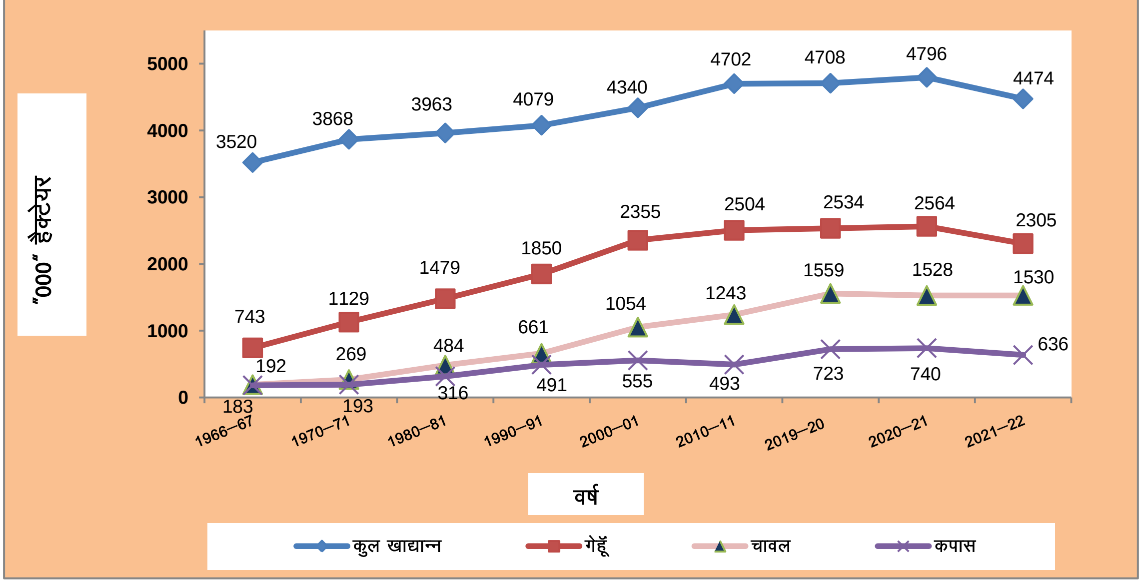

आकृति 3.2– हरियाणा में मुख्य फसलों का उत्पादन

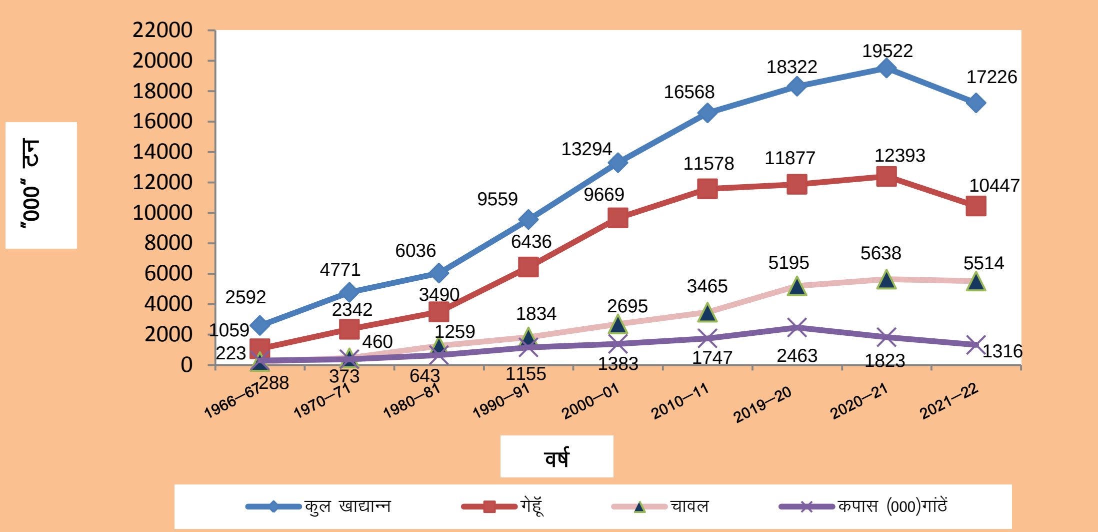

मुख्य फसलों का उत्पादन

3.4 राज्य में मुख्य फसलों का उत्पादन **तालिका 3.4 व आकृति 3.2** में दर्शाया गया है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1966—67 के दौरान 25.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2021—22 में 172.26 लाख टन के प्रभावशाली स्तर को छू चुका है जोकि छह गुणा से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने में गेहूं और धान ने प्रमुख भूमिका निभाई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2021—22 में 55.14 लाख टन था। इसी प्रकार वर्ष 2021—22 में गेहूं का उत्पादन 104.47 लाख टन था। वर्ष 2021—22 में तिलहन तथा गन्ना का उत्पादन क्रमशः 17.20 लाख टन तथा 88.23 लाख टन था। वर्ष 2021—22 में कपास का उत्पादन 13.16 लाख गांठें हुआ। हरियाणा केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में मुख्य भागीदार है। बासमती चावल का 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात अकेले हरियाणा से होता है।

मुख्य फसलों की पैदावार

3.5 वर्ष 2021—22 के दौरान हरियाणा में गेहूं तथा चावल की औसत उपज क्रमशः 4,533 व 3,605 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी। राज्य में वर्ष 2022—23 में गेहूं तथा चावल की औसत अनुमानितउपज क्रमशः 4,684 तथा 3,561 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है **(तालिका 3.5)।**

तालिका 3.4—मुख्य फसलों का उत्पादन

(‘000’ टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	कुल खाद्यान्न	गन्ना	कपास (‘000’ गांठे)	तिलहन
1966-67	1059	223	2592	5100	288	92
1970-71	2342	460	4771	7070	373	99
1980-81	3490	1259	6036	4600	643	188
1990-91	6436	1834	9559	7800	1155	638
2000-01	9669	2695	13294	8170	1383	571
2005-06	8853	3194	13006	8310	1502	830
2010-11	11578	3465	16568	6042	1747	965
2015-16	11350	4142	16332	6992	995	841
2019-20	11877	5195	18322	7730	2463	1175
2020-21	12393	5638	19522	8532	1823	1349
2021-22	10447	5514	17226	8823	1316	1720

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.5— हरियाणा तथा समस्त भारत में गेहूं तथा चावल की फसलों की औसत उपज

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर)

वर्ष	हरियाणा		भारत	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
2000-01	4106	2557	2708	1901
2005-06	3844	3051	2619	2102
2010-11	4624	2788	2988	2339
2011-12	5183	3044	3177	2393
2015-16	4406	3061	3034	2400
2016-17	4842	3214	3200	2494
2017-18	4847	3432	3368	2576
2018-19	4924	3118	3534	2638
2019-20	4687	3332	3440	2722
2020-21	4834	3691	3464*	2713*
2021-22	4533	3605	-	-

* अनन्तिम स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.6– वर्ष 2022–23 में मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

फसल	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	औसत उपज (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर)
चावल	1250	5000	4000
ज्वार	50	30	600
मक्की	35	98	2800
बाजरा	500	1000	2000
खरीफ दालें	100	100	1000
कुल खरीफ खाद्यान्न	**1935**	**6228**	**3219**
गेहूं	2550	12495	4900
चना	60	96	1600
जौ	15	50	3350
रबी दालें	10	12	1200
कुल रबी खाद्यान्न	**2635**	**12653**	**4802**
व्यवसायिक फसलें:			
गन्ना	120	10440	87000
कपास (गांठे)*	700	2200	535
खरीफ तेल बीज	25	22.5	900
रबी तेल बीज	650	1365	2100
सूरजमुखी	15	30	2000

* कपास का उत्पादन गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्र.।

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मुख्य फसलों का लक्षित क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज

3.6 राज्य में वर्ष 2022–23 में मुख्य फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और औसत उपज के लक्ष्य **तालिका 3.6** में दर्शाये गये हैं।

3.7 फसल विविधिकरण

- **मेरा पानी, मेरी विरासत योजना (एम.पी.एम.वी.)**–हरियाणा सरकार ने, खरीफ–2020 के दौरान धान की फसल (पानी की खपत वाली फसल) में मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फलों जैसे वैकल्पिक कम पानी की खपत वाली फसलों द्वारा विविधता लाने के लिए "मेरा पानी मेरी विरासत" की एक अनूठी पहल शुरू की थी। एम.पी.एम.वी. के तहत, उन किसानों को 7,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जा रही है, जिन्होंने अपनी धान की फसल को वैकल्पिक फसलों के साथ बदल दिया है। खरीफ–2021 में इस योजना को अतिरिक्त वैकल्पिक फसलों जैसे खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली), खरीफ प्याज, खरीफ दलहन (मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन), चारा फसलों के साथ और मजबूत किया गया। खरीफ–2021 में, नई पहल इस योजना में परती भूमि को शामिल करने की थी। खरीफ–2021 (खेत खाली फिर भी खुशहाली) में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए धान के स्थान पर अपनी भूमि परती रखने वाले किसानों को भी प्रोत्साहन राशि की अनुमति दी गई। खरीफ–2021के दौरान बाजरा की फसल को वैकल्पिक फसलों के दायरे से हटा दिया गया। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के कारण लगभग 25,600 हैक्टेयर और 20,752 हैक्टेयर क्षेत्र का धान से अन्य वैकल्पिक फसलों में विविधकरण किया गया और राज्य सरकार ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान क्रमशः 45 करोड़ रुपये और 31 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। वैकल्पिक फसलों के दायरे में कृषि–वानिकी (पोप्लर और नीलगिरी) को शामिल करके इस योजना को खरीफ–2022 में और मजबूत किया गया। खरीफ–2022 के दौरान 40,000 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 37,956 हैक्टेयर क्षेत्र का पंजीकरण किया गया और 23,554 हैक्टेयर क्षेत्र का पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया है।

- **दलहन और तिलहन फसलों के संवर्धन के लिए योजना**–कृषि विभाग ने राज्य में बाजरा के स्थान पर दलहन (मूंग, अरहर और उड़द) और तिलहन (अरंडी, मूंगफली और तिल) को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। खरीफ–2021 सीजन के दौरान किसानों ने दलहन (मूंग, अरहर और उड़द) के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया और सत्यापन के बाद दलहन और तिलहन लगाने के लिए किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। खरीफ–2021 के दौरान 21,951 किसानों के 34,555 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया है, जिसके लिए प्रोत्साहन के रूप में किसानों को 13.82 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खरीफ–2022 के दौरान, बाजरा विविधीकरण, दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने की योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति एकड़ के प्रोत्साहन के साथ 6,346 एकड़ क्षेत्र का सत्यापन किया गया है। यह योजना 7 जिलों भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर और मेवात में लागू की गई है। लाभार्थियों को अनुमानित 2.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)

3.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा राज्य में खरीफ–2016 से लागू की जा रही है। योजना के अन्तर्गत खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास और मूंग को कवर किया जा रहा है और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और सूरजमुखी को कवर किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खरीफ–2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत संशोधन किया है। इस योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक किया, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने योजना को खरीफ– 2020 से रबी–2022–23 तक लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत किसान का प्रीमियम रबी के लिए 1.50 प्रतिशत खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत और कपास की फसल के लिए 5 प्रतिशत होगा। योजना में खड़ी फसल में जलभराव (धान फसल को छोड़कर) ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोखिमों को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के 14 दिनों तक चक्रवात, चक्रवाती बारिश व बेमौसमी वर्षा के परिणामस्वरूप कटी व फैली हुई खेत में पड़ी पक्की फसल को हुए नुकसान का भी बीमा शामिल किया गया है। पी.एम.एफ.बी.वाई.योजना की प्रगति रिपोर्ट **तालिका 3.7** में दी गई है।

तालिका 3.7– प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के तहत फसली सीजनवार प्रगति

(रूपये लाख में)

सीजन	कुल कवर किए गए किसान	लाभान्वित किसानों की संख्या	एकत्रित प्रीमियम			कुल प्रीमियम	दावा राशि
			किसान का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	केन्द्र सरकार का हिस्सा		
खरीफ–2016	738795	150881	12735.62	8332.42	4616.37	25684.41	23423.05
रबी–2016–17	597298	62606	6994.67	1892.81	1892.81	10780.29	5702.64
खरीफ–2017	632421	242699	12486.66	11435.53	6181.92	30104.11	80499.83
रबी–2017–18	691246	77433	8125.68	3378.77	3378.77	14883.22	8624.74
खरीफ–2018	722953	322574	13908.27	26084.97	18099.62	58092.86	79729.23
रबी–2018–19	774947	80721	10236.94	8526.07	8526.07	27289.08	12705.24
खरीफ–2019	820585	247995	16743.15	39950.81	28969.97	85663.92	59256.17
रबी–2019–20	890453	321220	10162.66	13156.30	13156.30	36475.23	34339.17
खरीफ–2020	887258	342672	26470.94	34953.32	34943.47	96367.73	99530.35
रबी–2020–21	757035	106810	7985.11	13213.26	13202.41	34400.78	15614.96
खरीफ–2021	746606	419933	24249.02	31925.03	31925.00	88099.05	138881.15
रबी–2021–22	733674	72412	7606.53	13639.77	13632.14	34878.44	8396.32
कुल	**8993271**	**2447956**	**157705.25**	**206489.06**	**178524.85**	**542719.12**	**566702.85**

स्त्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

3.9 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19–02–2015 को सूरतगढ़, राजस्थान में पोषक तत्वों की कमी के समाधान के उद्देश्य से और मृदा परीक्षण आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में दो वर्षों के काल चक्र मेंसभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने है। यह योजना राज्य में अप्रैल, 2015 से शुरू की गई थी। वर्ष 2019–20 में तीसरे चक्र के दौरान एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर गांवों का चयन करके 22 जिलों में 122 ब्लॉकों से 122 गांवों में से मिट्‌टी के नमूने लिए गए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25,605 मृदा नमूने एकत्र किए गए, उनका परीक्षण किया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों में वितरित किए गए हैं। "हर खेत–स्वस्थ खेत" अभियान के चरण–I (वर्ष 2021–22) और चरण–II (वर्ष 2022–23) के दौरान 98 ब्लॉकों से दिनांक 09–11–2022 तक कुल 29.10 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान शेष 42 ब्लॉकों से मिट्टी के नमूनों का एकत्रण और परीक्षण किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

3.10 यह योजना हरियाणा में वर्ष 2007–08 से शुरू की गई थी। वर्ष 2018 में इस योजना को आर.के.वी.वाई.–रफतार कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण के रूप मे एक नया रूप दिया गया। आर.के.वी.वाई.–रफ्तार का उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत करने, जोखिम कम करने और कृषि–व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। इस योजना के मुख्य उद्‌देश्य है–(i) कृषि बुनियादी ढ़ाचे के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए गुणवता इनपुट, भण्डारण, बाजार सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना और किसानों को सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाना (ii) राज्यों को स्थानीय/किसानों की जरूरतों के अनुसार योजना बनानी और निष्पादित करने के लिए स्वायतता, लचीलापन प्रदान करना (iii) मूल्य श्रृंखला सर्वर्धन से जुड़े उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो किसानों को उनकी आय बढ़ाने के साथ–साथ उत्पादन/उत्पाद को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा (iv) अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फूलों की खेती आदि पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना (v) कई उपयोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भाग लेना (vi) कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जो उन्हें कृषि करने के लिए आकृर्षित करें।

3.11 हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंव उपयोजना के लिए 200 करोड़ रुपये सामान्य आर.के.वी.वाई. और 30 करोड़ रुपये आर.के.वी. वाई.–एस.सी.एस.पी. के लिए प्रावधान किया है। जिसके विरूद्ध योग्य मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022–23 के लिए 248.95 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

3.12 भारत सरकार ने रबी–2007–08 से राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत दो फसलें गहूं और दालों को शामिल किया गया है। उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है, जो अधिक संभाव्यता लेकिन कम उत्पादक वाले हैं। राज्य के सात जिलों अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ के तहत कवर किया गया है। वर्ष 2010–11 से सभी जिलों को एन.एफ.एस. एम.–दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिन्हित जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है।

3.13 भारत सरकार ने चल रही मुख्य योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2018—19 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज व ओ.एस. तथा ओ.पी. नाम की दो योजनाओं को शामिल किया। भारत सरकार ने दो नये जिलों पंचकूला व सिरसा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज में शामिल किया है तथा दो जिलों नारनौल व रिवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज योजना से बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018—19 के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में 9 जिलों भिवानी, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, महेन्द्रगढ़, मेवात, रिवाड़ी तथा रोहतक को शामिल किया गया है। शामिल नई योजनाओं ओ.एस. व ओ.पी. को वर्ष 2018—19 से समस्त राज्य में क्रियान्वित किया जायेगा। एन.एफ.एस.एम.—वाणिज्यिक फसल के तहत गन्ने के साथ दलहन की इंटरक्रापिंग को बढ़ावा देने के लिए नयी उपयोजना को जोड़ा गया था और अब इस योजना को एन.एफ.एस.एम.—दलहन में मिला दिया गया है।

3.14 एन.एफ.एस.एम. योजना के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2022—23 के लिए 4,476.27 लाख रुपये की कार्य योजना को मंजूरी दी है। प्रमाणित बीजों का वितरण, क्लस्टर प्रदर्शन, सूक्ष्म पोषक तत्व, फार्म मशीनरी, एकीकृत कीट प्रबंधन, संयंत्र और मृदा संरक्षण प्रबंधन जैसे घटकों में सब्सिडी के रूप में व्यय किया जाएगा। वर्ष 2022—23 के दौरान 09—11—2022 तक सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग के 1,980.33 लाख रूपये में से 289.80 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया है।

जल भराव और लवणीय भूमि सुधार घोषणा

3.15 माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने जल भराव और लवणीय भूमि के सुधार की घोषणा की है, जिसे पहले ही 2021—22 और उसके बाद से कार्यान्वयन के लिए लिया जा चुका है। एक वेब पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 27—12—2021 को विकसित और लॉन्च किया गया है ताकि किसानों द्वारा जलभराव वाली लवणीय भूमि के सुधार की इच्छा जताने वाले किसान भूमि सुधार करवा सकें और अब तक 4,355 किसानों ने पोर्टल पर 25,426 एकड़ भूमि के सुधार में अपनी रुचि दिखाई है। हरियाणा में वर्ष 1996 में जल भराव और लवणीय मिट्टी का सुधार कार्य शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, पिछले 24 वर्षों में 100 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राज्य की केवल 28,100 एकड़ भूमि का सब—सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक के माध्यम से सुधार किया गया था। चालू वर्ष के दौरान 5,581.08 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ 25,000 एकड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 2,861.99 लाख रुपये के व्यय के साथ सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज तकनीक के माध्यम से 19,802 एकड़ भूमि मे सुधार किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री—किसान योजना

3.16 प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता 2,000 रूपये प्रति किस्त के आधार पर प्रदान की जा रही है।

मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.)

3.17 मेरी फसल मेरा ब्योरा, राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें किसान एम.एस.पी. पर अपनी फसलों को बेचने और कृषि और अन्य सम्बंधित विभागों के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं, जो सभी किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकमात्र सिंगल विंडो मंच है। खरीफ—2022 में लगभग 7.88 लाख किसानों ने एम.एफ.एम.बी. पोर्टल पर 52.91 लाख एकड़ से अधिक भूमि का पंजीकरण कराया है।

फसल अवशेष प्रबधंन (सी.आर.एम.)

3.18 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना के नामतः "पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेषों के इन–सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण का प्रचार" के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों के लिए मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो कि मंहगी और परष्कृित मशीनों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रदान की जाती हैं। कुल 72,777 मशीनें (6,775 सी.एच.सी. के तहत 31,446 मशीनरी +41,331 व्यक्तिगत) सब्सिडी पर प्रदान की गई हैं। योजना के तहत, विभिन्न सूचना शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए धन प्रदान किया जाता है।

डायरेक्ट सीडड राइस

3.19 डायरेक्ट सीडड राइस, पानी और मिट्टी के संसाधनों की बचत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन संरक्षण तकनीक है। राज्य में डी.एस.आर. तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए डी.एस.आर. तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। डी.एस.आर. योजना राज्य के 12 धान उत्पादक जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक में लागू की गई है। खरीफ–2022 के दौरान 4,000 रुपये प्रति एकड़ के डी.एस.आर. प्रोत्साहन के लिए लगभग 72,890 एकड़ का सत्यापन किया गया है। प्रभारी (पी.एम.यू.) के माध्यम से डी.एस.आर. लाभार्थियों को संवितरण के लिए 29.16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

प्राकृतिक खेती

3.20 राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 के बजट प्रावधान के साथ खेती की लागत को कम करके रासायनिक मुक्त कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने एवं खेती को स्थायी आजीविका विकल्प बनाने के लिए जून, 2022 में राज्य में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की है। इसी तरह प्राकृतिक खेती के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में और राशि आवंटित किए जाने की संभावना है।

कपास की खेती को बढ़ावा देना

3.21 राज्य में योजना का उद्देश्य क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करना है और इस प्रकार राज्य में कपास उगाने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना सभी कपास उत्पादक जिलों में लागू की गई थी। राज्य में फसल के तहत क्षेत्र आम तौर पर 5.50 लाख हैक्टेयर से 7.50 लाख हैक्टेयर (वर्ष दर वर्ष) के बीच भिन्न होता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए 5,000 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एस.)

3.22 भारत में गन्ना वाणिज्यिक रूप से दो जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है, अर्थात् उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना उगाने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। लंबी फसल वृद्धि अवधि के कारण देश में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर उच्च बना हुआ है। गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में "गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.एस.)" योजना लागू की जा रही है योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

- राज्य में गन्ने के क्षेत्र, उत्पादकता, उत्पादन में वांछित वृद्धि प्राप्त करना एवं राज्य में गन्ने का सुधार।
- गन्ना उत्पादकों की आय और गन्ना की स्थिरता में वृद्धि करना।
- सूचना और सामग्री के सहयोगात्मक आदान–प्रदान के लिए चीनी मिलों, अनुसंधान केंद्रों और अन्य संगठनों के साथ संबंध विकसित करना।
- गन्ना उत्पादकों को सूचना/प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।
- गन्ना बिजाई के अन्य तरीकों को बढ़ावा देना।

- गन्ने की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना।
- गन्ने की किस्मों का प्रजाति संतुलन बनाए रखना।
- गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को सब्सिडी प्रदान करना।

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

3.23 सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाता है। फसलो को बाढ, जलभराव, अग्नि, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी–तूफान और कीट हमलों के प्रकोप आदि से होने वाले नुकसान के मुआवजे का दायरा भी बढाया गया है। सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 12,000 रूपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रति एकड़ की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जिला हिसार की तहसील खेड़ी जालब व जिला जींद की तहसील अलेवा को भारी वर्षा/जल भराव तथा कीट हमलों से फसल खरीफ, 2021 में हुए नुकसान हेतु 6,500 रूपये प्रति एकड़ की दर से विशेष पैकेज के रूप में 22.62 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। भारी वर्षा/ जल भराव से फसल खरीफ, 2022 में हुए नुकसान हेतु सरकार द्वारा उपायुक्त अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, नूहं, रिवाड़ी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत व झज्जर को 109.65 करोड रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। ओलावृष्टि से फसल रबी 2022 में हुए नुकसान हेतु सरकार द्वारा उपायुक्त भिवानी व चरखी दादरी को 41.77 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन राहत

3.24 सरकार द्वारा कोविड–19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रूपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जा रही है तदानुसार, अभी तक 12,088 लाभार्थियों को 60.44 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है।

चकबन्दी

3.25 हरियाणा राज्य में चकबन्दी कार्य पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा विखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 के अन्र्तगत किया जाता है। विभाग का मुख्य उददेश्य बे–तरतीब बिखरे पड़े छोटे–2 भूखण्डों को एकत्रित करके बड़े और उचित आकार देना है, ताकि किसानों के प्लाटों की संख्या कम हो सके। समेकित बड़े प्लाट आर्थिक दृष्टि से भी उचित होते हैं, जिनका प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जा सकता है और कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायता मिलती है। 104 गांवों में बीघे–बिस्वे को कनाल–मरलों में परिवर्तित करने का कार्य हरसक व एन.आई.सी. के तालमेल से शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष बचे 6,981 गांव, जिनका क्षेत्रफल 1,06,95,380 एकड़ है, चकबन्दी के लिये योग्य हैं। 6,921 गांवों, जिनका क्षेत्रफल 1,05,11,059 एकड़ है अर्थात 97.5 प्रतिशत का चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्त वर्ष 2022–23 में शेष बचे 59 गांवों में चकबन्दी कार्य चल रहा है। हाल ही में 7 गांवों की चकबन्दी का कार्य पूर्ण किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 में बजट के लिए 15.37 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये।

शिवालिक विकास एजैन्सी, अम्बाला

3.26 शिवालिक विकास एजैन्सी के अंतर्गत शिवालिक क्षेत्र के विकास को मध्यनजर रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना दिनांक 24–03–1993 को की गई। इस बोर्ड के विकास कार्यों/ परियोजनाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय द्वारा लागू व स्थापित करने तथा शिवालिक क्षेत्र के समग्र विकास हेतू शिवालिक

विकास एजैन्सी, अम्बाला एक कार्यकारी शाखा है। शिवालिक विकास एजैन्सी, शिवालिक विकास बोर्ड की देखरेख में विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं। यह एजैन्सी प्रत्येक वर्ष शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनाती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर इस एजैन्सी का ध्यान केंद्रित हैं जैसे कि जल संचयन, मिट्टी संरक्षण के उपायों, वनीकरण, जल आपूर्ति में सुधार, पशुपालन, स्वास्थ्य देखभाल आदि विभिन्न विकास कार्यो के माध्यम से वाटरशेड प्रबंधन करना। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में कार्यों और परियोजनाओं को लागू किया जा रहा हैं। वर्ष 2022–23 के अंतर्गत सरकार द्वारा 1,380 लाख रूपये का बजट (जिसमें 1,200 लाख रूपये सामान्य घटक के लिए तथा 180 लाख रूपये एस.सी.एस.पी. घटक के लिए) स्वीकृत किया गया है, जिसमें से अब तक 276 लाख रूपये (240 लाख रूपये सामान्य घटक के लिए तथा 36 लाख रूपये ए.सी.एस.पी. घटक के लिए) सरकार से पहली किश्त के रूप में प्राप्त हुए है। जल संचयन प्रबन्धन परियोजनाओं एवं अन्य जनोपयोगी कार्य/परियोजनाओं के लिए वार्षिक कार्य योजना 2022–23 स्वीकृत की गई है।

मेवात विकास एजैन्सी नूहं

3.27 मेवात विकास बोर्ड का गठन क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने एवं क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1980 में किया गया। मेवात विकास एजैन्सी (एम.डी.ए.) का उद्देश्य क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों को तेज करना व क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लाभप्रद विकासात्मक गतिविधियों को लागू करना है। एम.डी.ए. की गतिविधियॉ का फोक्स बहुसांस्कृतिक रहा है। क्षेत्र के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए एम.डी.ए. ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक कार्यो, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं गैर कृषि प्रशिक्षण, खेल, सामुदायिक विकास, कृषि, पशुपालन और सांस्कृतिक विकास आदि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए चल रही गतिविधियों के तहत राशि खर्च की है। वर्ष 2022–23 में हरियाणा सरकार द्वारा मेवात विकास एजैन्सी नूहॅ को चालू योजनाओं के अन्र्तगत 1,425 लाख रूपये (1,325 लाख रूपये सामान्य एवं 100 लाख रूपये एस.सी.एस.पी. मद) की राशि स्वीकृत की है।

पुर्नवास एंव पुर्नस्थापन नीति

3.28 यह नीति राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिकों तथा भूमि विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन हेतु दिनांक 9–11–2010 को बनाई गई है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैंः–(क) इस नीति के तहत भू–स्वामियों को 33 वर्षों तक 21,000 रूपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी के रूप में दिए जाते हैं, जो कि भूमि मालिक को उसकी अभिग्रहित की जाने वाली भूमि के साधारण मुआवज़े के अतिरिक्त हैं। इस वार्षिकी की राशि में 750 रूपये प्रतिवर्ष प्रति एकड़ निश्चित राशि की बढ़ोतरी होती है। विशेष आर्थिक ज़ोन, टैक्नोलोजी शहर तथा टैक्नोलोजी पार्क के लिए यह वार्षिकी निजी विकासकर्ताओं द्वारा 42,000 रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष तक दी जाती है तथा वार्षिकी की राशि में 1,500 रूपये प्रतिवर्ष प्रति एकड की बढ़ोतरी की जाती है। (ख) भू–स्वामियों को इस नीति के तहत उनके स्वंय कब्ज़े वाली रिहायशी भूमि/मकान अभिग्रहण होने पर रिहायशी प्लाट/कर्मशियल बूथ–साईट/औद्योगिक प्लाट आवंटित किये जाते हैं। (ग) भू–स्वामियों को इस नीति के तहत उनकी अभिग्रहण भूमि के बदले नौकरी, बिजली का कनैक्शन दिया जाता है और स्टैम्प ड्यूटी एंव रजिस्ट्रेशन खर्चे से छूट दी जाती है।

भूमि खरीद नीति

3.29 राज्य सरकार ने विकास परियोजना के लिए स्वेच्छा से सरकार को जमीन की खरीद पर एक नीति बनाई है। इस नीति का उद्वेश्य किसानों को विपत्ति की

स्थिति में भूमि को बेचने से बचाने तथा हरियाणा राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए साईट चिन्हित करने के निर्णय में भूस्वामियों को शामिल करना है। यह नीति दो लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाई गई है अर्थात् (क) जो किसान विपत्ति की स्थिति में भूमि बेचने का विचार कर रहा है, उसे संभावित खरीदार के रूप में सरकार के पास आने का आश्वासन दिया जाएगा, यदि सरकार को अपनी परियोजना के लिए आवश्यकता है, (ख) उस स्थिति जिसमें कुछ भूमि मालिक एक विशेष परियोजना के लाभों के बारे में इतने उत्सुक हैं कि वे इसके लिए सरकार को अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, सरकार यह पता लगा सकती है।

लघु सचिवालय और संबद्ध भवनों का निर्माण

3.30 राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए राज्य में जिला मुख्यालयों पर संयुक्त कार्यालय भवनों जैसे लघु सचिवालयों/उपमण्डल/तहसील/उप–तहसील कम्पलैक्स का निर्माण किया है। अधिकांश जिलों में भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2023–24 के लिए अनुमानित बजट अनुमान 14,000 लाख रूपये रखा गया है। कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्यालय और आवासीय भवन प्रदान करने व जनता की सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक ई–दिशा केन्द्र प्रदान करना लक्ष्य है।

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

3.31 हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अर्न्तगत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के अधीन की गई थी तथा दिनांक 06–04–1976 को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन आफ सोसाईटिज एक्ट–1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था। दिनांक 01–09–1976 को इस संस्था ने अपना स्वंतत्र कार्य शुरू कर दिया था। संस्था का मुख्यालय पंचकुला में तथा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में है।

3.32 इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम–1966 की धारा–5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई जातियों के बीज को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है फसलवार निर्धारित मानकों का विवरण केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गये भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों में दिया हुआ है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का कार्यक्रम विभिन्न बीज उत्पादन संस्थाओं जैसे हरियाणा बीज विकास निगम, हैफेड, एच.एल. आर.डी.सी., उद्यान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, आई.एफ. एफ.डी.सी., कृभको एवं अन्य व्यक्तिगत बीज उत्पादकों द्वारा आफर किया जाता है। इन बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा दिये गये क्षेत्र का निरीक्षण संस्था द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

3.33 यद्यपि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अपनी गतिविधियों द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है, तथापि राज्य की बीज उत्पादक/संस्थाओं द्वारा प्रमाणीकरण के लिये आफर किया गया क्षेत्र ही संस्था के कार्य का लक्ष्य बन जाता है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विभिन्न फसलों का किया गया निरीक्षण एवं प्रमाणित बीज की मात्रा के साथ आय एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

3.34 वर्ष 2022–23 में विभिन्न उत्पादक संस्थाओं/उत्पादकों द्वारा 263.50 हजार एकड क्षेत्र प्रमाणीकरण के लिए आफर किये जाने की सम्भावना है जिससे हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का 34 लाख क्विंटल बीज प्रमाणीकरण किये जाने का अनुमान है। वर्ष 2022–23 में अनुमानित आय 1,850.26

लाख व व्यय लगभग 1,780.40 लाख होने की सम्भावना है।

3.35 राज्य में 301 संसाधन संयंत्र कार्य कर रहे है जिन पर प्रमाणीकरण हेतु बीजों के संसाधन का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। बीजों के संसाधन के उपरान्त प्रत्येक लोट से बीज का एक नमूना लेकर उसे कृषि विभाग के अधीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला करनाल, सिरसा तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधीन पंचकूला एवं रोहतक स्थित प्रयोगशाला में आवश्यक जांच के लिये भेजा जाता है, तथा वहां से परिणाम प्राप्त होने के बाद अगर वह लोट प्रमाणीकरण के सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है तो उसको नियमानुसार प्रमाणित कर दिया जाता है।

तालिका 3.8– लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण।

वर्ष	लक्ष्य				उपलब्धियां			
	भौतिक		वितीय		भौतिक		वितीय	
	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)	निर्धारित किया गया क्षेत्र ('000' एकड़ में)	प्रमाणित किए गए बीजों की मात्रा ('000' क्विंटल में)	आय (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2017-18	258.75	3300.00	1472.65	1456.75	237.07	2878.95	1169.11	834.64
2018-19	259.50	3325.00	1559.65	1458.35	226.95	2980.74	1058.87	772.85
2019-20	260.00	3350.00	1575.20	1560.20	271.27	3593.02	1191.97	774.63
2020-21	262.50	3375.00	1737.33	1704.27	255.40	3183.19	1242.16	820.51
2021-22	263.00	3395.00	1801.38	1754.67	177.88	2065.24	1067.13	828.05
2022-23 (लक्ष्य)	263.50	3400.00	1850.26	1780.40	-	-	-	-

स्त्रोतः हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था।

हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड

3.36 हरियाणा बीज विकास निगम किसानो के कल्याण के लिए कार्य करता है और निगम का मुख्य उद्धेश्य किसानों को नाममात्र लाभ पर गुणात्मक बीज प्रदान करना है। हरियाणा बीज विकास निगम एक मूल्य नियंत्रक के रूप में भी काम करता है ताकि राज्य में बीज की कीमतों पर रोक लगा सके।

प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण

3.37 किसानों को समय पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा बीज विकास निगम के पास मिनी बैंकों और हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम जैसी संस्थागत एजैंसियों के बिक्री केन्द्र के अतिरिक्त 79 बीज बिक्री केन्द्रों का अपना एक नेटवर्क है। निगम द्वारा जरूरत के अनुसार अस्थाई बीज बिक्री केन्द्र भी खोले जाते हैं। इसके अतिरिक्त निगम अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करवाने के लिए खरपतवारनाशक, कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक दवाईयां भी अपने बीज बिक्री केन्द्रों से किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा बीज विकास निगम अपने माल की बिक्री अपने ब्रान्ड नाम 'हरियाणा बीज' से उपलब्ध करा रहा है, जो कि हरियाणा के किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है। निगम विभिन्न राज्य बीज निगमों, कृषि विभागों, थोक बीज खरीददारों और वितरकों को राज्य के बाहर बीज की आपूर्ति भी करवाता है।

3.38 हरियाणा बीज विकास निगम राज्य के किसानों को रियायती दर पर विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान निगम ने 32,973 क्विंटल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे धान, दलहन, ज्वार, बाजरा इत्यादि किसानों को उपलब्ध करवाए। खरीफ–2022 में बिक्री सीजन के दौरान 28,399.68 क्विंटल ढैंचा बीज का 80

प्रतिशत अनुदान राशि के तहत फसल विविधिकरण को बढावा देना (राज्य योजना) और फसल विविधिकरण कार्यक्रम (आर.के.वी. वाई) के तहत वितरित किया। चालू रबी 2022–23 में बिक्री सीजन के दौरान 1,71,721 क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध 1,70,281 क्विंटल बीज सभी फसलों (गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन, जई एवं बरसीम आदि) के बीजों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन एवं तिलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी.) राज्य कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना के तहत बिक्री की है।

3.39 निगम ने वर्ष 2021–22 के दौरान खरीफ मौसम में 41,129 क्विटंल विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज जैसे कि धान, दलहन, ज्वार, ग्वार, बाजरा, ढैंचा इत्यादि रबी मौसम में 1,83,521 क्विंटल गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन आदि के बीजो को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (रफतार), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ओ.एस.एण्ड.ओ.पी) योजना के तहत किसानों को उपलब्ध करवाये हैं। वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक प्रमाणित बीजों की बिक्री की प्रगति का ब्यौरा **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9– हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा बीजों की बिक्री

(क्विंटल में)

मौसम	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
खरीफ	51312	35769	41129	32986
रबी	289342	257156	183521	170281

स्त्रोतः हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटिड

3.40 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम (एच.एल.आर.डी.सी.) लिमिटिड को कंपनी अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। निगम का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है। निगम के हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारयणगढ़ और हनुमानगढ़ में सात प्रंबधकीय कार्यालय है, जहां से जिप्सम की खरीद की जाती है और जिप्सम और कृषि के अन्य इनपुट किसानों को इसकी बिक्री केद्रों/डीलर नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। निगम नारायणगढ़ और पानीपत में पैट्रोल पंप और नारायणगढ़, हिसार और फरीदाबाद में गैंस एजैसियों का प्रंबधन भी कर रहा है, जहां से एच.एस.डी., एम.एस. और एल. पी.जी. गैंस किसानों/उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है। 1974 में निगम की स्थापना के बाद से हरियाणा राज्य में 31–01–2023 तक लगभग 4,11,442 हैक्टेयर (10,28,605 एकड़) भूमि का सुधार किया है। भारत सरकार के नवीनतम सर्वेक्षण 2010 के अनुसार राज्य में 1.84 लाख हैक्टेयर क्षारीय भूमि का सुधार होना शेष है।

3.41 निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है–(1) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं के अतंर्गत सॉडिक मिट्टी में सुधार और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जिप्सम की व्यवस्था और वितरण के सम्बध में योजनाएं लागू करना। (2) अपने स्वंय के आउटलेट तथा सरकारी विभाग क काउटंर के माध्यम से कृषि इनपुट का वितरण। (3) गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम। (4) पैट्रोल पम्प और गैंस एजैसियों का संचालन करना।

बागवानी

3.42 पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है। भारत में हरियाणा बागवानी क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ अग्रणी राज्य है। राज्य में अधिकतर सभी तरह के फल सब्जी, मसाले, मशरूम और फूल उगाए जाते हैं। बागवानी फसलों के कुल क्षेत्र के 80 प्रतिशत में सब्जी व बाकी में फल, मसाले व फूल इत्यादि हैं। वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 का बागवानी बजट 46,950.75 लाख रूपये से बढ़कर 82,441 लाख रूपये हो गया है। निरंतर आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति

आय में वृद्धि और बढ़ते शहरीकरण के कारण फलों और सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की खपत में बदलाव आ रहा है। हरियाणा में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए फसल विविधीकरण अति आवश्यक है जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आय का स्तर बढ़ाया जा सके।

विभाग की नीतियां एवं कार्यक्रम

3.43 विभाग द्वारा चलाई जा रही 18 योजनाओं में से 14 राज्य योजना, 4 केन्द्रीय योजना (हिस्सा आधारित) हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन

3.44 राज्य में 4.13 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों के अधीन है जो कि सकल फसल क्षेत्र का 6.46 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन 67.07 लाख मीट्रिक टन था।

फल की खेती

3.45 वर्ष 2021–22 में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 73,075 हैक्टेयर था जिसमें 12.64 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2022–23 में 14.21 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 82,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.10)**

सब्जी की खेती

3.46 वर्ष 2021–22 में सब्जी की खेती के अन्तर्गत 53.41 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 3,29,440 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में 66.83 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 3,63,000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.11)**।

मसाले

3.47 वर्ष 2021–22 में मसाला फसलों के अन्तर्गत 0.73 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 8,586 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में 0.84 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 9,500 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है **(तालिका 3.12)**।

औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

3.48 वर्ष 2021–22 में औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खेती के अन्तर्गत 354.7 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 305.9 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में 663 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 500 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.13)**।

फूलों की खेती

3.49 वर्ष 2021–22 में फूलों की खेती के अन्तर्गत 0.17 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ कुल 1,692 हैक्टेयर क्षेत्र था। वर्ष 2022–23 में खुले क्षेत्र के फूल 0.27 लाख मीट्रिक टन व कट फलावर 550.31 लाख संख्या उत्पादन के साथ 1,802 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। **(तालिका 3.14)**।

संरक्षित तथा वर्टिकल खेती पर ध्यान

3.50 रोग रहित पौधशाला उगाने, गैर मौसमी व कीटनाशक अवशेष रहित सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए, हरित गृह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सरकार द्वारा संरक्षित खेती और वर्टीकल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए सामान्य जाति के किसानों को 65 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये वर्ष 2021–22 में 2,085 हैक्टेयर क्षेत्र में बांस स्टैंकिंग, 1,393 हैक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित संरचनाएं, 1,791 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक टनल व 4,772 हैक्टेयर क्षेत्र को मलचिंग से कवर किया गया है। इसकी श्रेणी अनुसार प्रगति **तालिका 3.15** में दर्शायी गई है।

मशरूम

3.51 वर्ष 2021–22 में खुम्ब का उत्पादन 10,745 मीट्रिक टन प्राप्त किया गया। वर्ष 2022–23 में 10,770 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

समुदायिक तालाब

3.52 वर्ष 2021–22 में एम.आई.डी.एच. योजना के अर्न्तगत 45 सामुदायिक/कृषि तालाब तथा 25 व्यक्तिगत तालाब बनाये गए जिन पर क्रमशः 845.51 लाख रूपये एवं 10.51 लाख रूपये खर्च हुये।

तालिका 3.10— फलों की फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फलों के नाम	लक्ष्य 2021—22		उपलब्धियां 2021—22		लक्ष्य 2022—23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
नींबू वर्गीय फसलें	25035	602367	24398	570883	26322	651571
आम	9827	114406	9647	108770	9784	114178
अमरूद	15540	271181	15594	238514	18970	291341
चीकू	1929	22164	1810	21828	1835	22346
आंवला	2390	16529	2175	17092	2200	15851
अन्य	27279	372323	19451	306633	22889	325923
कुल	**82000**	**1398970**	**73075**	**1263720**	**82000**	**1421210**

तालिका 3.11— सब्जी फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

सब्जियों के नाम	लक्ष्य 2021—22		उपलब्धियां 2021—22		लक्ष्य 2022—23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
आलू	34690	910680	29543	781505	32497	859656
टमाटर	24565	528193	20938	343440	23032	504365
प्याज	27080	686530	24871	489456	27358	692328
बेल वाली सब्जी	64047	930197	49451	657908	54640	874354
फूल गोभी	32690	672160	28852	583612	31737	684616
पत्ते वाली सब्जी	41715	528770	39429	451087	43372	604869
मटर	9420	124405	8149	118939	8964	137350
बैंगन	11570	207060	8630	146153	9492	204194
अन्य	139241	2149060	119577	1768857	131908	2121703
कुल	**385018**	**6737055**	**329440**	**5340957**	**363000**	**6683435**

तालिका 3.12— मसालों का क्षेत्र एवं उत्पादन

मसालों के नाम	लक्ष्य 2021—22		उपलब्धियां 2021—22		लक्ष्य 2022—23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
अदरक	250	5000	82	880	90	1620
लहसुन	4360	43600	3415	39908	3791	44298
मैथी	1280	3186	1525	8754	1679	9746
अन्य	4110	41900	3563	23855	3940	28656
कुल	**10000**	**93686**	**8585**	**73397**	**9500**	**84320**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.13— औषधीय एवं सुगन्धित पौधों का क्षेत्र एवं उत्पादन

औषधीय एवं सुगंधित पौधों के नाम	लक्ष्य 2021—22		उपलब्धियां 2021—22		लक्ष्य 2022—23	
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)
एलोवेरा	145	130.5	101	1578	249	4458
स्टीविया	0	0	6.4	4	16	95
अरन्डी	0	0	0	0	0	0
अन्य	155	207	198.5	1965	235.2	2077
कुल	**300**	**337.5**	**305.9**	**3547**	**500.2**	**6630**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.14– फूलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

फूलों के नाम	लक्ष्य 2021–22			उपलब्धियां 2021–22			लक्ष्य 2022–23		
	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन लाख)	क्षेत्र (है0)	उत्पादन (एम.टी.)	कट फ्लावर उत्पादन (लाख)
ग्लोयो–लियस	65	0	16.25	25	0	6.5	28	0	46.2
गेंदा	2175	32625	0	1301	16794	0	1388	24984	0
गुलाब	92.5	960	59.62	55.8	266	40.77	63	316	43.52
अन्य	367.5	272	103.12	310.66	151.5	75.32	323	2050	460.59
कुल	**2700**	**33857**	**178.99**	**1692.46**	**17211.5**	**122.59**	**1802**	**27350**	**550.31**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

तालिका 3.15– श्रेणी अनुसार संरक्षित/वर्टिकल खेती की प्रगति

श्रेणी	उपलब्धियां 2021–22	लक्ष्य 2022–23
	भौतिक (है0)	भौतिक (है0)
पोली हाऊस/नेट हाऊस	1393.00	141.10
उच्च मूल्य वाली सब्जियां	275.60	0
कम सुरंग	1791.00	220.00
मलचिंग	4772.00	1580.00
बॉस स्टैकिंग	2270.35	787.80
कुल	**10501.95**	**2728.90**

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

मेरा पानी मेरी विरासत

3.53 वर्ष 2020–21 में फल, सब्जियों और मसालों में विविधीकरण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों को लक्षित करके एक नया कार्यक्रम मेरा पानी मेरी विरासत शुरू किया गया है जिसके तहत वर्ष 2021–22 में 9,764 एकड़ क्षेत्र के लिये पंजीकरण किया गया था। वर्ष 2022–23 में समग्र दृष्टिकोण के लिए धान उगाने वाले क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को लक्षित करके बगीचों, सब्जियों और मसालों में विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह विविधीकरण कार्यक्रम एकीकृत कृषि प्रणालियों, वर्टीकल खेती, उच्च तकनीक बागवानी से प्रभावित होगा। वर्ष 2022–23 में 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।

बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना

3.54 हरियाणा ने नई किस्मों और प्रौद्योगिकियों के विकास हेतू विविधीकरण आवश्यक्ताओं और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करनाल में एक पूर्ण विकसित बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर और एल.ओ.आई

3.55 सरकार ने बागवानी में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है और कृषि योग्यता परिषद के साथ एम.ओ.यू के तहत 32 योग्यता पैक और 265 रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग शुरू किए गए हैं।

किसान उत्पादक संगठन का गठन (एफ.पी.ओ.)

3.56 सरकार ने बागवानी उत्पादों के सामूहिक विपणन को बढ़ावा देने के लिऐ 92,288 किसानों को सीधे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित करते हुए 683 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है। इन किसानो को तकनीकी, मौसम तथा विपणन जानकारी के सीधे हस्तांतरण के लिए किसान पोर्टल के साथ जोड़ा जायेगा।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.)

3.57 हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं, जैसे ओलावृष्टि, अधिक तापमान/ गरम हवा, ठंढ, तेज हवा, आग व सूखा इत्यादि कारणों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई

करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरूआत 01–01–2021 को की गई है। इस योजना को भावांतर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.) के अतिरिक्त लागू किया गया है, जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक राज्य योजना है। इस योजना से किसान की आय का स्तर बढेगा एवं उनका बागवानी फसलों के प्रति रूझान भी बढेगा।

पहल

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

3.58 सरकार ने सिरसा और करनाल में बागवानी उपज में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं 3.90 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की है। दोनों प्रयोगशालाओं में बागवानी और कृषि उपज, मिटटी और पानी के नमूनों में अवशेष सामग्री के विश्लेषण की सुविधा है।

3.59 मधुमक्खी पालन

- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशनः मधुमक्खी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जुलाई, 2020 में एक नई केन्द्रीय योजना "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन" की शुरूआत की है।
- हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021ः सरकार ने हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 लागू की है और 2030 तक शहद उत्पादन को 4,500 मीट्रिक टन से लगभग दोगुना से ज्यादा 15,000 मीट्रिक टन करने के उद्देश्य से एक एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र, कुरूक्षेत्र की स्थापना की है।
- शहद व्यापार केन्द्रः मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने और शहद व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा ने वर्ष 2022 में 3 करोड़ रूपये की लागत से शहद के व्यापार, गुणवक्ता परख और भंडारण के लिए शहद व्यापार केन्द्र की स्थापना की है।

नए केन्द्रों की स्थापना

3.60 हरियाणा सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में उत्कृष्टता केंद्र व प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है। 11 उत्कृष्ठता केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और तीन उत्कृष्ठता केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

फसल समूह विकास कार्यक्रम (सी.सी.डी.पी.)

3.61 नई योजना अर्थात फसल समूह विकास कार्यक्रम नाम से 510.36 करोड़ रूपये बजट के साथ एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रत्येक क्लस्टर में विपणन ढांचा और फसल प्रबंधन सुविधाओं जैसे पैक हाउस, प्राथमिक संस्करण केंद्र, ग्रेडिंग–छंटनी सुविधा, भंडारण की सुविधा, वाहन सुविधा इनपुट और गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि सुविधाएं बागवानी उत्पादन के प्रभावी विपणन के लिए दी जाएंगी। इसलिए इसके लिए 33 केन्द्र बनाए गए हैं।

भावान्तर भरपाई योजना (बी.बी.वाई.)

3.62 सरकार द्वारा यह योजना दिनांक 01–01–2018 में शुरू की गई है ताकि किसानों को जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए बाजार में कम कीमतों के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह भारत में एक अनूठी योजना है। यह योजना किसानों को विविधीकरण और बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना की सफलता को देखते हुए अब 21 बागवानी फसलों को योजना में शामिल किया गया है। (तालिका 3.16)

तालिका 3.16–भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों की संख्या

वर्ष	किसान नामांकित (संख्या)	नामांकित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रोत्साहन भुगतान राशि (रूपये लाख में)
2017–18	4435	10789	12.08
2018–19	17970	66351	940.49
2019–20	36991	84830	82.65
2020–21	30170	54120	0.00
2021–22	56089	120466	377.00

स्त्रोतः बागवानी विभाग, हरियाणा।

3.63 सूचना प्रोद्यौगिकी

- विभाग बागवानी किसानों से जुड़ने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, यू ट्युब और कू ऐप) का उपयोग कर रहा है। बागवानी विभाग हजारों किसानों में विकास ला रहा है और इसके लिये विकास नीतियों, अनुदान, प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी, नये शोध, एफ.पी.ओ. के गठन, वेबिनार, सेमिनार, अधिकारियों के दौरे, वेज एक्सपो और अन्य विभागीय गतिविधियों की जानकारी किसानों को दी जा रही है। उद्यान विभाग से संबंधित सूचनाओं के प्रचार–प्रसार में ये चैनल बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
- जैसा कि अब विभाग के पास सभी विभागीय योजनाओं/सब्सिडी के लिये केवल एक होर्टनैट पोर्टल है। वर्ष 2022–23 के लिये अब तक लगभग 20,000 आवेदन होर्टनैट पोर्टल पर प्राप्त हो चुके है।
- मुख्यालय के साथ–साथ विभाग के जिला कार्यालयों में ई–आफिस का कार्यान्वयन।
- उद्यान विभाग की वेबसाईट पर विभाग की सभी 14 सेवाओं को "खुशहाल बागवानी" नाम से एक छत्र एंव सम्पर्क बिन्दु के रूप में जोड़ा गया है।
- विभाग ने नर्सरी/केन्द्रों से सब्जियों की पौध, आलू के बीज और फलों के पौधों की आनलाईन बुकिंग के लिये एक होटसेलनेट पोर्टल/वेबसाईट विकसित किया है।
- लाभार्थी यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा आनलाईन भुगतान कर सकता है।
- विभाग ने किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिये समर्पित टोल फ्री नंबर के साथ 02–11–2021 को बागवानी निदेशालय में एक 'बागवानी हेल्पलाईन सैंटर' स्थापित किया गया है।

सिंचाई

3.64 हरियाणा उतर भारत में छोटा सा भू–भाग वाला राज्य है, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.4 प्रतिशत भू–भाग है। कम वर्षा (300 मिलीमीटर से 1,100 मिलीमीटर) जैसी बाधाओं के साथ सीमित जल संसाधन होने के कारण अन्तर्राज्यीय नदी समझौतों पर निर्भर है, 40 प्रतिशत भू–जल खारा होने के कारण राज्य को कृषि (अर्थ व्यवस्था की रीढ की हड्डी) के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने और 2.5 करोड़ से अधिक लोगो को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र, उद्योग आदि की आने वाली बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य विशाल कार्य का सामना करता है। हरियाणा ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु सिचांई नहरों और पेयजल योजनाओं का एक व्यापक नैटर्वक विकसित किया है और नेशनल फूड बास्केट में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभर कर आया है और 100 प्रतिशत गांवो को पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ **तालिका 3.17** में दी गई है।

3.65 राज्य में नहर और जल निकासी नेटवर्क के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा (आई.डब्ल्यू.आर.डी.) की है जिसमें राज्य में सिंचाई, पीने, तालाब भरने, औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति शामिल है। हरियाणा ने एक व्यापक नहरों का जाल विकसित किया है जिसमें 1,521 चैनल हैं जिनकी लम्बाई 14,125 कि. मी. है। भाखड़ा प्रणाली में कुल 521 नहरें हैं जिनकी कुल लम्बाई 5,867 कि. मी. है, यमुना प्रणाली की कुल 472 नहरें हैं जोकि 4,311 कि. मी. लम्बी हैं और उठान प्रणाली की कुल 528 नहरें हैं जिनकी लम्बाई 3,947 कि. मी. है। इसके अतिरिक्त जल

निकासी के लिए राज्य में 5,150 कि. मी. लम्बे लगभग 800 ड्रेनज का एक विशाल जाल है। राज्य का नेटवर्क पुराना है और सिस्टम के लगातार चलने के कारण वाहक चैनलों की क्षमता कम हो गई है इसलिए नहरों का पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

विभाग के उद्देश्य

3.66 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा का लक्ष्य एक कार्य योजना का खाका तैयार करना है जो कार्य शैली को बदल देगा और भविष्य की चुनौतियों के लिए विभाग को सुसज्जित करेगा और जन संसाधनों के व्यापक, एकीकृत विकास और प्रबंधन के लिए योजनाओं के प्रमुख मुद्दों पर योजनाकारों और उपभोगकर्ताओं दोनों का ध्यान आकर्षित करेगा व तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाउ होगा।

विभाग की उपलब्धियां

भूजल सैल की मुख्य गतिविधियां

3.67 भूजल सैल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष में दो बार वॉटर टेबल की गहराई व भूजल की गुणवत्ता की निगरानी, विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार करना अर्थात वॉटर टेबल की गहराई का मानचित्र, भूजल गुणवत्ता मानचित्र, इतिहास, दशकीय और मौसमी उतार–चढ़ाव का मानचित्र, वॉटर टेबल के मानचित्र की रूपरेखा इत्यादि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, चण्डीगढ़ के साथ संयुक्त रूप से गतिशील भूजल संसाधन अनुमान रिपोर्ट तैयार करना, भूजल को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करने के लिए सरकारी भवन के रूफटॉप पर वर्षा जल संचयन संरचना (आर.टी.आर.डब्ल्यू.एच.एस.) का निर्माण करना व भूजल की निगरानी के लिए पीजोमीटर की स्थापना करना।

सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण कार्य

3.68 राज्य में बाढ़ के प्रकोप और जल जमाव की प्राकृतिक आपदा से राज्य को बचाने के लिए, हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक के दौरान 466.03 करोड़ रुपये की लागत वाली 323 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त 231.87 करोड़ रूपये की लागत वाली प्रगतिशील 168 योजनाओं को भी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अभी तक वितीय वर्ष 2022–23 के दौरान इन योजनाओं पर 250 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके है तथा 491 और 217 योजनाएं पूरी की जा चुकी है।

अन्तिम छोर पर आपूर्ति

3.69 100 प्रतिशत टेलों पर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग ने टेलों पर विशेष ध्यान देने के लिए एक अभियान शुरू किया। चोरी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाकर 100 प्रतिशत टेलों तक पानी पहुंचाने के लिए पुलिस बल (सिंचाई एवं बिजली के लिए विशेष) को शामिल कर व्यापक कदम उठाए गए जिसके लिए एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। 2022 के मानसून सत्र में, जे.एल.एन. फीडर में अधिकतम 2,800 क्यूसिक पानी, लोहारू फीडर में 975 क्यूसिक, महेन्द्रगढ़ नहर में 1,000 क्यूसिक तथा जे.एल.एन. नहर में 624 क्यूसिक पानी का निष्कासन किया गया।

नाबार्ड परियोजनाएं

3.70 207 एस.टी.पी. में से 35 एस.टी.पी. पर पहले चरण में काम करने का प्रस्ताव किया गया है और इसके लिए नाबार्ड द्वारा 490.53 करोड़ रूपये की राशि वाली एक परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत मंजूर की गई है जोकि 31–03–2024 तक पूरी कर ली जाएगी।

रिचार्जिंग कुए

3.71 डार्क जॉन में खेतों में एकत्रित हुऐ बारिश के पानी से भू–जल की पूर्ण भरपाई के लिए, ''मेरा पानी मेरी विरासत'' के तहत 40 करोड़ रुपये की लागत वाले 1,000 रिचार्ज कुओं के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना से हर साल लगभग 8,000 एकड़ जलमग्न भूमि लाभान्वित होगी। 839 रिचार्ज कुओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 98 रिर्चाजिंग कुओं का कार्य प्रगति पर है। अब तक 30.55 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। इस कार्य के 31–03–2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

तालिका 3.17– योजना–वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	योजना/स्कीम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत	
		भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय (लाख रूपये में)	भौतिक	वित्तीय
2019–20	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	195	52764.76	168	44593.65	86	85
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	223	8339.56	160	5169.16	72	62
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	14	3981.69	8	1671.23	57	42
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	39801089	8173.85	39524564	7811.00	99	95
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	9579066	1472.78	40519316	1379.72	42	94
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	96	51.00	85	48.10	88	94
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	32000	10500	32219	10275	100	98
2020–21	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	262	211792.09	191	24519.91	72.90	11.58
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	176	2707.07	150	1149.47	85.23	42.46
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	13	1440.15	9	325.59	69.23	22.61
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	35914268.6	7907.19	32712378.3	6658.97	91.08	84.21
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	8266164.95	1559.92	8250154.46	1433.41	99.81	91.89
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	227	26622.07	110	5347.87	48.46	20.08
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	11000	6750	8160	5975	74.18	88.58
2021–22	1. नहरों का पुनर्वास (पुनर्वास की गई नहरों और ढांचों की संख्या)	113	61761.5	78	38727.99	69.02	62.70
	2. जलमार्गों का पुनर्वास (पुनर्वास किए गए जलमार्गों की संख्या)	141	2699.31	95	1236.66	67.37	45.81
	3. नई माईनरों का निर्माण (निर्माण की गई नई माईनरों की संख्या)	7	3659.28	5	1927.06	71.42	52.66
	4. नहरों की गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	30952509.84	11505.11	25633402.23	7409.20	82.81	64.40
	5. ड्रेनों से गाद निकालने/सफाई का कार्य (लम्बाई फीट में)	10871391.23	3180.75	10788615.48	2881.15	99.23	90.58
	6. बाढ़ नियंत्रण व निकास कार्य (कार्य संख्या)	346	54645	215	26000	62	41
	7. फील्ड चैनलों का निर्माण (हैक्टेयर में)	18.75	10510.00	14.46	8777.50	77.12	83.52
	8. पी.एम.के.एस.वाई.-पी.डी.एम.सी. के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई	100000	47533.00	34800	10468.49	34.80	22.02

स्त्रोतः सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा।

वर्षा जल संचयन

3.72 विभाग द्वारा 131 रेन वाटर हारवेस्टिंग ढांचे लगाये गये, जिससे 286 सरकारी भवनों को जल संचय की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसका कुल क्षेत्र 585 एकड़ है।

3.73 पश्चिमी जमुना नहर प्रणाली की वाहक क्षमता बढ़ाना

- आर.डी. 68220 (हमीदा हैड) से आर.डी. 190950 (इंद्री हैड) तक पश्चिमी जमुना नहर मेन लाईन लॉअर की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 120.19 करोड़ रूपये है, इसमें से 101.48 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है
- डब्ल्यू.जे.सी. मेन ब्रांच की आर.डी. 0–154000 की क्षमता बढाने के लिए जिसकी अनुमानित लागत 202.10 करोड़ रूपये है, इसमें से 185.98 करोड़ रूपये का कार्य पूरा हो चुका है। आवर्धन नहर का कार्य 380 करोड़ रूपये की लागत से प्रगति पर है।
- पी.डी. ब्रांच की आर.डी. 0–145250 की क्षमता बढ़ाने के लिए 304 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से पुनर्वास के कार्य नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। आर. डी. 0 से 145250 तक के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। कार्य शुरू हो चुका है।

अटल भूजल योजना

3.74 अटल भूजल का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले स्थायी भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करना है जिसे पैमाने पर ले जाया जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित राज्यों में जल संकट वाले चुनिंदा क्षेत्रों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है।

नहर नेटवर्क का आधुनिकीकरण

3.75 नहर नेटवर्क के आधुनिकीकरण के तहत वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान लगभग 283 चैनलों के पुनर्वास का कार्य 1,023.54 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से मुख्यतया किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 201 नए पुलों का निर्माण 446 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

3.76 राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित भारत सरकार की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना पूरे भारत में 49 कार्यान्वयन एजैंसियों द्वारा कार्यन्वित की जा रही है। एन.एच.पी. का उद्देश्य जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना और भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना है। वर्ष 2016 से 2024 के दौरान इस परियोजना के लिए हरियाणा को बजट के रूप में 50 करोड़ रूपये दिये गये हैं।

आदि बद्री बांध व सोम्ब सरस्वती बैराज

3.77 हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नदी में पानी छोड़ने के लिए सरस्वती नदी पुनरोद्वार तथा धरोहर विकास परियोजना (प्रथम चरण) के लिए 388.16 करोड रूपये अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। केन्दीय भूजल बोर्ड के माध्मय से इस परियोजना के बनने से संभावित भूजल पुनर्भरण क्षमता का आंकलन करवाया गया है। जिसमें यह पुष्टि की गई है कि इस परियोजना के तहत भूजल पुनर्भरण की अच्छी सम्भावना है। इस परियोजना के 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।

मेवात और गुरूग्राम क्षेत्र में जल आपूर्ति

3.78 मेवात और गुरूग्राम क्षेत्र को पीने का पानी प्रदान करने के लिए, हरियाणा सरकार ने गुड़गांव जल आपूर्ति नहर से 50 किलोमीटर लम्बी पाईप–लाईन के माध्यम से 200 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण 600 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से करने का निर्णय लिया है, जो गुरूग्राम जल आपूर्ति नहर से बादली के पास के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के रास्ते पर चल रही है। आगे गुरूग्राम क्षेत्र और मेवात नहर फीडर की भविष्य में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुड़गांव जल सेवाएं चैनल की मौजूदा क्षमता 175 क्यूसेक को 475 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए पुनर्वास का कार्य 1,600 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

नदी के ऊपर भण्डारण बांध

3.79 हरियाणा सरकार यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों गिरि और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्सेपर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांधों के निर्माण के लिए सख्ती से कार्य कर रही है। लखवार, किशाउ एवं रेणुकाजी बांध के पूरा होने पर हरियाणा को कुल जमा पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा रेणुका जी बांध की निवेश मंजूरी के बाद, राज्य सरकार ने ऊपरी यमुना नदी समिति को प्रारंभिक धन के रूप में 63.57 करोड़ रुपये जमा करवा दिए हैं।

हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण (एच.पी.डब्ल्यू. डब्ल्यू.एम.ए.)

3.80 तालाबों और जलाशयों के विकास का कार्य भी बडे पैमाने पर शुरू किया गया है। पूरे प्रदेश में लगभग 19,388 तालाबों की जियो मैपिंग की जा चुकी है और चरणबद्व तरीके से इन तालाबों का जीर्णोद्वारा किया जा रहा है। अमृत सरोवर के तहत 1,273 तालाबों को प्राथमिकता पर लिया गया है, जिनमें से 208 का कार्य पूरा हो चुका है और 493 का कार्य प्रगति पर है।

राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एस.एस.ए.पी.)

3.81 राष्ट्रीय जल मिशन के तहत सुरक्षा, निरंतर विकास और जल संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई योजना एस.एस.ए.पी. का कार्यभार हरियाणा सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान को सौंपा गया है। हरियाणा के विभिन्न विभागों से राज्य विशिष्ट कार्य योजना से सम्बन्धित अधिकतर आंकडे प्राप्त किए जा चुके हैं।

सतलुज यमुना लिंक

3.82 राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई जो कि पिछले 12 वर्षों से लंबित थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–11–2016 को निर्णय लिया गया तथा यह राय दी गई थी कि पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमैन्ट एक्ट असंवैधानिक है। तदानुसार हरियाणा सरकार ने माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को बाद में कार्यवाही की इच्छा जताई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 9–07–2019 को अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के साथ तीन बैठकें की गई लेकिन कुछ भी ठोस निर्णय नहीं निकला। पंजाब सरकार ने दिनांक 23–01–2020 को सभी दलों की बैठक बुलाई जहां सर्वसम्मति से यह फैंसला लिया गया कि भारत सरकार सुनिश्चित करें कि पंजाब का पानी रावी, ब्यास और सतलुज बेसिन से गैर बेसिन क्षेत्रों में स्थानातंरित नहीं किया जाए जोकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने दिनांक 07–02–2020 को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र लिख कर यह सूचित किया कि पंजाब असंवैधानिक व गैरकानूनी तरीके अपना कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। हाल ही में मामले की सुनवाई दिनांक 06–09–2022 को हुई, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि पंजाब तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री इसी माह आपस में बैठक करें तथा 4 महीने का समय दिया और कहा कि प्रगति रिपोर्ट दी जाए। दिनांक 14–10–2022 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चण्डीगढ़ में बैठक हुई किन्तु मुख्यमंत्री पंजाब ने एस.वाई. एल. को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी। परिणामस्वरूप दिनांक 04–01–2023 को माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने से इन्कार कर दिया और एस.वाई.एल. नहर के निर्माण से इन्कार कर दिया।

3.83 मिकाडा से सम्बन्धित मुख्य उपलब्धियां

- काडा का मुख्य कार्य खेतों की सिंचाई हेतू पक्के जलमार्गो का निर्माण करना था। दिसम्बर, 2020 में सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) का नाम बदलकर

सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकाडा) कर दिया गया। मार्च, 2021 तक सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम "प्रति बूंद अधिक फसल" पी.एम.के.एस.वाई. योजना बागवानी और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई थी। अब पी. डी.एम.सी. स्कीम के अर्न्तगत सूक्ष्म सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने के लिए अप्रैल, 2021 से मिकाडा को अधिकृत किया गया है। हरियाणा राज्य में मिकाडा द्वारा पी.एम. के.एस.वाई योजना के निम्नलिखित घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा है:

क) टपका सिंचाई प्रणाली
ख) लघु फव्वारा प्रणाली
ग) पोर्टेबल फव्वारा प्रणाली
घ) सूक्ष्म सिंचाई के लिए खेत में पानी के तालाब
ड) नहरी जल मार्गो का एकीकरण (पाईप और सिविल निर्माण), फार्म तालाब, सौर ऊर्जा पम्प व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली।

- किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना नाबार्ड–एम.आई.एफ. के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 189.46 करोड़ रुपये है जो कि 22,555 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाएगी।
- एक अन्य परियोजना नाबार्ड–एम.आई.एफ. के तहत तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 399.97 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के अंतर्गत 57,353 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया जाना प्रस्तावित है।
- मिकाडा द्वारा खालो के निर्माण/विस्तार/पुनर्वास के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए खाल के चक्क का कम से कम 30 प्रतिशत क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अर्न्तगत लाने की आवश्यकता है। बजट घोषणा 2022–23 मे माननीय मुखमंत्री ने एक वर्ष की अवधि के लिए खालों की मुरम्मत/पुनर्वास के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत सूक्ष्म सिंचाई की मौजूदा शर्त मे छूट दी है, जहाँ इस तरह की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता अत्यधिक क्षति के कारण है व जलमार्ग के पुनर्वास के लिए संरचनात्मक आवश्यकता है।
- उपरोक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मिकाडा, हरियाणा ने लगभग 500 जलमार्गो की पहचान की है जिनके लिए पुनर्वास की आवश्यकता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 मे लगभग 1,30,000 एकड क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 250 जलमार्गो का पुनर्वास किया जाएगा। इसलिए, चालू वित्त वर्ष 2022–23 के अनुपूरक बजट 2022–23 मे उक्त कार्य के निष्पादन के लिए 75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रवधान किया गया है।
- सरकार के निर्णय के अनुसार, मिकाडा ने हरियाणा के विभिन्न जिलो में 1,546 कच्चे जलमार्गो की पहचान की है, जो कि अगले तीन वर्षो में नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI के तहत पक्के किये जाने प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कुल 946.52 करोड रूपये (वर्ष 2022–23 में बनाए गए 200 करोड़ रूपये के अतिरिक्त बजट के साथ) के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से आर.के.वी.वाई.–पी.डी.एम.सी. घटक के तहत लगभग 2.5 लाख एकड. क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए 606.42 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के लिए लगभग 4,000 ऑन–फार्म पानी के टैंक (सामुदायिक या व्यक्तिगत) के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी।

वन

3.84 हरियाणा देश के उन राज्यों में से एक है जहां देश में सबसे कम वन क्षेत्र है, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका लगभग 81 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अधीन है। वन और वृक्षों के आच्छादन के तहत अपने क्षेत्र का केवल 7.16 प्रतिशत होने के साथ, वन विभाग का प्रयास राज्य में जैव–विविधता, पारिस्थितिक स्थिरता और पर्यावरणीय सेवाओं के संरक्षण के लिए वन और वृक्षों के आच्छादन को बनाए रखना और बढ़ाना है। मनुष्यों को सेवाएं प्रदान करने में जंगलों और पेड़ों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि वे कार्बन प्रच्छादन और जलवायु सुधार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करते हैं।

3.85 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरु किए गए स्कूली बच्चों के वृक्षारोपण अभियान और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरु किए गए जल शक्ति अभियान के कार्यान्वयन की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2022–23 के दौरान वन भूमि, पंचायत भूमि, संस्थागत् भूमि, कृषक भूमि आदि पर पौधरोपण कर 1.79 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

3.86 कई हाईवे और एक्सप्रैस–वे हरियाणा राज्य से होकर गुजर रहे हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान अम्बाला से नारनौल तक गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152-डी के किनारे 500 आर.के.एम. का वृक्षारोपण लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस हाईवे के किनारे करीब 1.25 लाख पौधे रोपे गए हैं। इसके अलावा, वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इन सड़कों पर मौजूद टोल प्लाज़ा के दोनों किनारों पर देशी प्रजातियों के घने वृक्षारोपण किए गए हैं। पर्यावरण विभाग, हरियाणा ने राज्य में लगभग 24 प्रदूषण हॉट स्पॉट की पहचान की है। इन हॉट स्पॉट को हरा–भरा बनाने के लिए इन पर सजावटी और प्रदूषण निवारक पौधे लगाए गए हैं।

3.87 वनीकरण योजनाओं को बेहतर योजना के उद्देश्य से कृषि क्षेत्रों और वन क्षेत्रों के बाहर अन्य क्षेत्रों में हमारे वृक्ष संपदा को जानना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य में हरित आवरण की सटीक सीमा का अनुमान लगाने के लिए सभी गांवों और शहरी केंद्रों में वृक्षों की गणना की गई है। वृक्ष गणना के परिणामों के आधार पर राज्य को हरा–भरा बनाने के लिए ग्राम स्तर पर व्यापक वनरोपण योजना बनाई जाएगी।

3.88 जोहड़ (तालाब) ग्रामीण भारत में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन और समृद्धि के केंद्र में हैं। वास्तव में, ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा होने के कारण, गाँव तालाबों के आसपास बसे होते हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 2,200 ग्राम जोहड़ के साथ बरगद, पीपल, नीम, पिलखन जैसे दीर्घायु छायादार एवं बहुउद्देश्यीय वृक्षों का रोपण किया गया है।

3.89 राज्य का शिवालिक क्षेत्र प्राचीन काल से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव–विविधता के लिए जाना जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक संपदा के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए कालका (पंचकुला जिला) से कलेसर (यमुनानगर जिला) तक 150 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल स्थापित किया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ लोग प्रकृति का आनंद ले सकें और प्रकृति में भागीदार बनकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें।

3.90 कोविड समय ने हमें पेड़ों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑक्सीजन के महत्व को दिखाया। इस महत्व की स्मृति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, वर्ष 2022–23 के दौरान, राज्य में 34 ऑक्सी–वन विकसित किए गए हैं जहां लोग प्रकृति को महसूस कर सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं।

पशुपालन एवं डेयरी

3.91 पशुपालन एंव डेयरी विभाग राज्य के 71.26 लाख पशुधन संख्या को 2,857 पशु संस्थाओं (राजकीय पशु चिकित्सालय एंव राजकीय पशु चिकित्सा औषद्यालयों) की सुविकसित सरंचना के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को निःशुल्क पशु स्वास्थ्य एंव पशु प्रजनन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

3.92 हरियाणा राज्य में देश की पशुधन संख्या का 2.10 प्रतिशत है लेकिन 112.84 लाख टन दूध का योगदान है जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.37 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदन दूध की उपलब्धता 1,063 ग्राम है जबकि राष्ट्रीय औसत 427 ग्राम के मुकाबले में देश में तीसरे स्थान पर है।

3.93 वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः 11.49 लाख गायों और 27.22 लाख भैंसों और वर्ष 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) के दौरान 5.36 लाख गायों तथा 10.99 लाख भैंसों का उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान क्रमशः 4.12 लाख गायों और 10.85 लाख भैसों के बच्चें और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) के दौरान 1.98 लाख गायों 5.03 लाख भैंसों के बच्चे पैदा हुए है।

3.94 विभाग ने वर्ष 2021–22 के दौरान 129.32 लाख और वर्ष 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) के दौरान 48.75 लाख पशुओं को कृमिरहित किया गया जिससे पशुओं में कृमि को कम करने और समग्र उत्पादन में वृद्वि करने में मदद मिलती है। विभाग समाज के अर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को उनके परिवारों के पोषण और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए कम लागत वाली नस्ल के 10 दिन आयु के 50 चूजे मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना चला रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 938 और 508 इकाईयां स्थापित की गई हैं और वर्ष 2022–23 के दौरान अभी तक आवंटित बजट 50 लाख रूपये में से 22.46 लाख रूपये की राशि का उपयोग किया गया।

3.95 राज्य में अनूसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1,500 (दो/तीन दुधारू पशु) डेयरी और 100 (10 मादा +1 नर) सुअर पालन इकाईयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 1,501 लाभ प्राप्तकर्ताओं (1,471 पशु डेयरी + 30 सूअर पालन इकाईयां) व वर्ष 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में 368 लाभ प्राप्तकर्ताओं (364 पशु डेयरी+4 सूअर पालन इकाईयां) को लाभाविन्त किया गया है। इस वर्ष के दौरान अभी तक आंवटित बजट 27 करोड़ रूपये में से 11.13 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

3.96 राज्य में अनुसुचित जाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इकाई लागत पर 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके (15 मादा +1 नर) भेड़ व बकरी की 800 इकाईयां स्थापित की जानी है। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 312 एवं 113 लाभान्वित हुए है।

3.97 बेरोजगार युवाओं को 4 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में स्वरोजगाार हेतु सहायता प्रदान की जाती है तथा 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 890 और 191 इकाईयां स्थापित की गई है, राज्य में हरियाणा, साहीवाल, बेलाही और गिर देशी नस्ल की गायों को संरक्षण और बढ़ावा देने के अधिक दूध देने वाली गायों के मालिको को 5,000 रूपये से 20,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23

(30 सितम्बर, 2022 तक) क्रमशः 2,005 और 536 पशुओं की पहचान की गई है। राज्य में अधिक उत्पादन देने वाले मुर्राह जर्मप्लाजम को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए, अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 15,000 रूपये से 30,000 तक रूपये की नकद प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 और 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 1,048 और 234 पशुओं की पहचान की जा चुकी है।

3.98 पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य के सम्पूर्ण पशुधन मुंहखुर (एफ.एम.डी.) गलघोटूं (एच.एस.), के संयुक्त व स्वाइन फीवर, शीप पोक्स, पी.पी.आर., एंअरोटॉक्सिामिया इत्यादि रोगो के लिए संपूर्ण पशुधन पशुपालकों के घर द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 67.42 लाख तथा 80.47 लाख (17.36 लाख एल.एस.डी. को मिलाकर) पशुपालकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।

3.99 सरकार राज्य के बेसहारा मांवेशियों के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है और विभाग ने राज्य के विभिन्न गौशालाओं में 50,000 बेसहारा मवेशियों के पुनर्वास में सहायता की है तथा कम फसल क्षति के कारण किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है और निम्न कोटि के जर्मप्लाजम के प्रसार की रोकथाम भी हुई है।

3.100 हरियाणा राज्य में वित्त वर्ष 2021–22 में कियान्वित प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के अन्तर्गत विभाग की चार योजनाएं सम्मिलित है और इन चार योजनाओं में अब तक 14,162 पशुपालक लाभाविन्त हुये हैं। विभाग ने वर्ष 2021–22 में बेसहारा पशुओं के पुनर्वास में सहायता के लिए गौशालाओं को 8.35 करोड़ रूपये चारा अनुदान के रूप में प्रदान किये है। विभाग ने पशुओं के कल्याण के लिए राज्य में 22 एस.पी.सी.ए. स्थापित किए हैं।

3.101 राज्य के पशुपालकों को सैक्स सोर्टिड सीमन 200 रूपये प्रति डोज की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो देश में सबसे कम है। अब तक 2.45 लाख वीर्य की खुराक का उपयोग किया गया है 35,556 पशु गर्भित पाए गए है और 11,897 बच्चे पैदा हुए है जिनमें से 10,743 (90.30 प्रतिशत) मादा बच्चे है।

3.102 पशुपालकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न बैंको द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड (पी.के.सी.सी.) प्रदान करने का प्रावधान हैं। विभाग ने बैंक को 4.55 लाख आवेदन प्रायोजित किए है। इनमें से कुल 1.32 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए है। अब तक 88,915 पी.के.सी.सी. कार्ड बैंको द्वारा पशुपालकों को वितरित किए गए हैं।

3.103 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक की अवधि में राज्य ने 5.43 लाख गायों और भैंसों की पहचान यूनीक आईडेंटिफिकेशन टैग के साथ की है और इन पशुओं को आई.एन.ए.पी.एच. पोर्टल में पंजीकृत किया है। पशुपालन में इच्छुक राज्य के बेरोजगार युवाओं को डेयरी, भेड़, बकरी सूअर और मुर्गी पालन में 11 दिनों का अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021–22 एंव 2022–23 (30 सितम्बर, 2022 तक) में क्रमशः 2,381 व 152 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

3.104 सरकार ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021–22 के तहत पंचकूला और सोनीपत में बी.एस.एल.–II प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ए.एस.सी.ए.डी. योजना के अन्तर्गत 1.50 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की है जिससे ये प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। इसके अलावा लुवास, हिसार में एक बी.एस.एल.–II प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है।

3.105 भारत सरकार की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना–मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और

सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत पीपीपी मोड में प्रत्येक ब्लाक में 200 मोबाईल पशु चिकित्सा इकाइयों को शुरू कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है और वर्ष 2022–23 में 70 मोबाईल वैन की खरीद हेतू 1,120 लाख रूपये केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये है।

3.106 वर्ष 2021–22 में नस्ल सुधार के लिए बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रो की स्थापना की गई है। इस संदर्भ में डी.यू.वी.ए. एस.यू. मथुरा द्वारा 30 पशु चिकित्सकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है तथा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा 4,000 वीर्य खुराक की खरीद की गई है। इस उद्येश्य के लिए ऊन श्रेणीकरण एंव विपणन केंद्र, लोहारू में भेड़ और बकरी कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

मत्स्य

3.107 हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा राज्य अब नीली क्रांति की दहलीज पर है। सहायक व्यवसाय के रूप में मत्स्य पालन राज्य के मत्स्य पालकों में लोकप्रिय होता जा रहा है।

3.108 वर्ष 2021–22 के अर्न्तगत 19,100 हैक्टेयर जलक्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाकर 6,346.50 लाख मछली बीज संचय करते हुए 2,09,033.32 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022–23 के अर्न्तगत 21,650 हैक्टेयर जलक्षेत्र के आवंटित लक्ष्यों के विरूद्व 16,296.60 हैक्टेयर जलक्षेत्र मत्स्य पालन के अधीन ला कर 5,300 लाख मत्स्य बीज संचय के लक्ष्यों के विरूद्व 6,329.46 लाख मत्स्य बीज संचय करते हुये 2,10,500 मीट्रिक टन के लक्ष्यों के विरूद्व 1,65,898.65 लाख मत्स्य उत्पादन किया गया (माह जनवरी, 2023 तक)।

3.109 वर्ष 2014–15 में हरियाणा राज्य में पहली बार जिला झज्जर, रोहतक व हिसार के लवणीय क्षेत्र तथा मेवात एवं पलवल के जल भराव के क्षेत्र में अनुपयोगी लवणीय व जलमग्न क्षेत्र को उपयोग में लाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नयी परियोजना का सृजन करके सफेद झींगा पालन एवं मत्स्य पालन शुरू किया गया। वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत 500 हैक्टेयर लवणीय क्षेत्र को सफेद झींगा पालन के अधीन लाया गया। वर्ष 2022–23 में (माह जनवरी, 2023) में 1,000 हैक्टेयर जलक्षेत्र के विरूद्व 653.79 हैक्टेयर जलक्षेत्र झींगा पालन के अधीन लाकर 2,500 लाख झींगा बीज संचय के विरूद्व 1,640.73 लाख झींगा बीज संचित करते हुए 4,000 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्व 5,256.93 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन किया गया। वर्ष 2022–23 में औसत मत्स्य उत्पादकता 9,600 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 10,000 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष किया जायेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

3.110 गेहूं खरीद की समय अवधि दिनांक 01–04–2022 से 15–05–2022 तक थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रूपये प्रति क्विंटल थे। गेहूं की कुल 41.85 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई। सरसों खरीद के लिए 92 मण्डियां/खरीद केन्द्र, चने की खरीद के लिए 11 मण्डियां/ खरीद केन्द्र, जौं खरीद के लिए 25 मण्डियां/ खरीद केन्द्र तथा सूरजमुखी की खरीद के लिए 9 मण्डियां/खरीद खोले गए। सरसों, चना तथा जौं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई खरीद नही हुई।

3.111 धान खरीद की समय अवधि दिनांक 01–10–2022 से 15–11–2022 तक निर्धारित की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए 210 मण्डियां/खरीद केन्द्र खोले गए है। दिनांक 15–11–2022 तक

2,060 रूपये प्रति क्विटंल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 59.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। मूंग खरीद के लिए 38 मण्डियां/खरीद केन्द्र, मक्का की खरीद के लिए 19 मण्डियां/खरीद केन्द्र तथा मूंगफली की खरीद के लिए 7 मण्डियां/खरीद केन्द्र खोले गए है। पिछले दो वर्षों में रबी और खरीफ फसलों की खरीद **तालिका 3.18** में दी गई है।

भण्डार शाखा

3.112 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित राज्य की खरीद एजेंसियों के पास 91.56 लाख मीट्रिक टन की कवर्ड भण्डारण क्षमता है। जिसमें से खाद्य विभाग के पास भंडारण क्षमता 4.87 लाख मीट्रिक टन, हैफेड के पास 13.70 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग की 16.33 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा एग्रो की 1.79 लाख मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम के पास 8.75 लाख मीट्रिक टन, केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 4.55 लाख मीट्रिक टन, एच.एस. ए.एम.बी. के पास 4.18 लाख मीट्रिक टन, पी.ई. जी. स्कीम के 34.02 लाख मीट्रिक टन तथा 3. 37 लाख मीट्रिक टन क्षमता के निजी पार्टियों (अडानी ग्रुप) के स्टील साइलो है। राज्य सरकार भण्डारण के कारण होने वाली हानि को कम करने तथा कवर्ड भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के प्रति सतर्क है।

तालिका 3.18–रबी तथा खरीफ फसलों की खरीद

वर्ष	गेहूँ (लाख मीट्रिक टन)	चना (मीट्रिक टन)	सरसों (लाख मीट्रिक टन)	धान (लाख मीट्रिक टन)	मक्का (मीट्रिक टन)	सूरजमुखी (मीट्रिक टन)	मूँग (मीट्रिक टन)	बाजरा (मीट्रिक टन)
2021–22	84.93	7240	–	55.30	244.50	4012.70	1228.90	858.75
2022–23	41.85	565	–	59.37	–	2002.57	618.00	80381.65

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

3.113 हिसार में 40,656 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,695.26 लाख रूपये होगी। नाबार्ड इस राशि का 95 प्रतिशत (2,560.50 लाख रूपये) वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत प्रदान करेगा और इस राशि का राशि का 5 प्रतिशत यानी 134.76 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए हरियाणा राज्य भण्डारण निगम नोडल ऐजेन्सी है। 17,556 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 23,100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। महुवाला (फतेहाबाद) में 2,380.19 लाख रूपये की लागत से 53,130 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण को माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 09–04–2020 को स्वीकृति प्रदान की थी। आर. आई.डी.एफ. योजना के तहत परियोजना का 95 प्रतिशत (2,261.17 लाख रूपये) नाबार्ड द्वारा और इस राशि का 5 प्रतिशत यानि (119.02 लाख रूपये) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नाबार्ड द्वारा 452.23 लाख रूपये की अदायगी कर दी गई है। हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 01–02–2023 को टैन्डर दिये गये हैं।

स्टील साईलो का निर्माण

3.114 भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य में 3 चरणों में 9.50 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए साइलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने रोहतक, जीन्द, पलवल, पानीपत, भट्टू, सोनीपत मे प्रत्येक 50,000 मीट्रिक टन क्षमता के स्टील साइलों के निर्माण के लिए कुल 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के लिए निविदाएं आंमत्रित की है और काम वितरित किया है। हरियाणा राज्य को 6.50 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए स्टील साइलों का निर्माण करना है। उच्च स्तरीय समिति ने अंबाला (1,00,000 मीट्रिक टन), फरीदाबाद (50,000 मीट्रिक टन), भिवानी (50,000 मीट्रिक टन), रोहतक (50,000 मीट्रिक टन), जगाधरी (50,000 मीट्रिक टन), करनाल (75,000 मीट्रिक टन), तरावड़ी (75,000 मीट्रिक

टन), हांसी (50,000 मीट्रिक टन), उचाना (50,000 मीट्रिक टन) और कुरूक्षेत्र (1,00,000 मीट्रिक टन) के निर्माण हेतु पहले ही मंजूरी दे चुकी है। हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को स्टील साइलों के निर्माण के लिए नोडल एंजेसी घोषित किया गया है और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार ने पहले चरण में स्टील साइलों के निर्माण के लिए करनाल, पानीपत, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और पलवल (25,000 मीट्रिक टन प्रत्येक स्थान) में भूमि के अधिग्रहण का निर्देश दिया है।

फोर्टिफाईड आटा वितरण

3.115 कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रायोगिक परियोजना के आधार पर मार्च, 2018 से जिला अम्बाला के नारायणगढ तथा बराड़ा खण्ड में फोर्टिफाईड आटे का वितरण आरम्भ किया गया। फरवरी, 2019 से उक्त योजना को पूरे अम्बाला तथा करनाल जिले में लागू कर दिया गया था। अब राज्य के 5 जिलों नामतः अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक तथा यमुनानगर में फोर्टिफाईड आटा वितरित किया जाता है।

पी.डी.एस. के अंतर्गत चीनी का वितरण

3.116 राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2018 से प्रति बी.पी.एल. परिवार को 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम प्रति मास की दर से चीनी वितरित की जा रही है। राज्य सरकार प्रति माह लगभग 2.50 करोड़ रूपये वहन कर रही है। राज्य में वर्तमान में कुल 9,716 राशन डिपो हैं।

अन्त्योदय आहार योजना के तहत सरसों के तेल का वितरण

3.117 राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जून, 2021 से सरसों के तेल के स्थान पर 11.41 लाख बी.पी.एल. व ए.ए.वाई. परिवारों के बैंक खाते में 250 रूपये जमा किये जाने है। अप्रैल, 2022 तक 8,04,918 बी.पी.एल./ए.ए.वाई. परिवारों (क्रिड, हरियाणा द्वारा) के खातों में 238.22 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई है। वितरित किए गए खाद्यान्न का विवरण **तालिका 3.19** में दिया गया है।

तालिका 3.19–खाद्यान्न का योजनावार वितरण

स्कीम	वस्तु	वितरण (2021–22)	वितरण 2022–23 (अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक)
एन.एफ.एस ए.–2013	गेंहू	466958	354440
	फोर्टिफाईड आटा	177331	132207
	बाजरा	71120	59259
पी.एम.जी. के.ए.वाई.	गेहूँ	622414	517967
	चीनी	11651	10170

स्त्रोतः खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, हरियाणा।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का एंड टू एंड कम्पुयट्रीकरण

3.118 टी.पी.डी.एस. ऑपरेशन के एंड–टू–एंड कंम्यूट्राइजेशन के तहत कॉनफेड फोकल प्वाइंटस सहित 9,633 उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) और 243 गोदामों का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। एन.एफ.एस.ए. के तहत 30,39,008 परिवारों/राशन कार्ड और 1,21,57,526 सदस्यों/लाभार्थियों को डिजिटलीकरण किया गया है। कम से कम एक सदस्य के आधारी को राशन कार्ड से जोड़ा गया है और सदस्यों/लाभार्थियों की आधार सीडिंग परिवार आई.डी. डेटा बेस पर आधारित है। राज्य सरकार ने बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट (बी.ओ.ओ.) मॉडल में सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस (पी.ओ.एस.) स्थापित करने का निर्णय लिया था। 1 नवंबर, 2016 को पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकान का स्वचालन शुरु किया गया था।

नामांकित एडीशन

3.119 यह देखा गया है कि कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो उचित मूल्य की दुकानों पर जा कर राशन को एकत्र करने में असमर्थ हैं, जैसे कि कोढ़ी, बीमार और वरिष्ठ लाभार्थी। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थी हैं जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं जैसे कि वे लाभार्थी जो श्रम में लगे हुए हैं। ये लाभार्थी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन एकत्र करने में असमर्थ हैं। ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण

प्रणाली (ए.ई.पी.डी.एस.) में एक अपवाद संचालन प्रक्रिया प्रदान की गई है। इस तरह के लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण के बाद अपनी ओर से राशन लेने के लिए नामांकित कर सकते हैं। 0.43 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया गया है।

बेस्ट फिंगर डिटेक्शन

3.120 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की समस्याओं को हल करने के लिए जिनके फिंगर प्रिंट बहुत स्पष्ट नहीं हैं) बेस्ट फिंगर डिटेक्शन (बी.एफ.डी.) की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही फिंगर प्रिंट को पढ़ने में कठिनाई की समस्या का समाधान करने के लिए फ्यूजन की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें एक उंगली की पहचान पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में सिस्टम दूसरी उंगली के लिए संकेत देता है। फ्यूजन सफलता की दर लगभग 98 प्रतिशत है, जिसने इस तरह की समस्या को लगभग हल कर दिया है।

एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.पी.डी.एस.)

3.121 एन.एफ.एस.ए. के तहत पंजीकृत लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आई.एम.–पी.डी.एस.) के एकीकृत प्रबंधन के तहत हर महीने किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से अपना हकदार अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आई.एम.–पी.डी.एस. और राज्य पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन अपडेट किया जाता है।

विधिक माप विज्ञान

3.122 भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में सही माप–तोल सुनिश्चित करने हेतू विधिक माप अधिनियम 2009 लागू किया गया है ताकि बाट एवं माप के मानक नियमित, प्रदत्त किए जा सके तथा अन्य ऐसे मामले विक्रय अथवा वितरण माप, तोल और संख्या में किया जाता है ताकि व्यापार अथवा वाणिज्य को विनिमित किया जा सके।

उपभोक्ता मामले

3.123 उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनमें जागरूकता लाने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र का विधिवत उद्घाटन माननीय खाद्य मंत्री द्वारा दिनांक 27–09–2013 को किया गया। सशक्तीकरण और जागरूकता के अलावा हेल्पलाईन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान के बारे में भी मार्गदर्शन करती है जोकि 20, जुलाई, 2020 को लागू किया गया। हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण, मार्गदर्शन करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र सभी कार्यदिवसों में कार्यरत है। जनवरी, 2018 से दिनांक 31–10–2022 तक 34,668 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 34,177 (98.5 प्रतिशत) शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ (हैफेड)

3.124 हैफेड हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शीर्ष सहकारी संघ है। यह 1 नबम्वर, 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के गठन के साथ अस्तित्व में आया। तब से यह भारत में हरियाणा के किसानों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हैफेड का मिशन व्यवहारीय और कुशल सहायता प्रदान करके राज्य के किसानों के आर्थिक हितों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाना है। संघ के मुख्य उद्वेश्य (i) कृषि उत्पादन और सहबद्ध उत्पादों की खरीद, विपणन और प्रंसस्करण के लिए व्यवस्था करना (ii) कृषि आदानों की आपूर्ति जैसे खाद, बीज व कृषि रसायनों की व्यवस्था करना तथा (iii) सम्बद्ध सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। हैफेड का पिछले 5 वर्षों का टर्नओवर व लाभ **तालिका 3.20** में दिए गए हैं।

3.125 हैफेड की प्रमुख उपलब्धियां

- **धान की खरीद**–खरीफ–2022–23 सीजन के दौरान हैफेड ने 19.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी

एजैन्सियों द्वारा की जाने वाले कुल खरीद का लगभग 33 प्रतिशत है।

तालिका 3.20– हैफेड का बिक्री व लाभ

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	टर्नओवर	लाभ
2017–18	9352.70	76.29
2018–19	12307.00	41.46
2019–20	13482.02	61.98
2020–21	16608.62	152.95
2021–22	17727.94	207.13

स्त्रोतः हैफेड।

- **बाजरे व मक्का की खरीद**–खरीफ–2022 में हैफेड ने 803.82 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की है।
- **गेहूं की खरीद**–रबी–2022 के दौरान हैफेड ने 17.82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो कि प्रदेश की सभी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली कुल खरीद का लगभग 42.57 प्रतिशत है। हैफेड ने रबी–2021 के दौरान 36.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी।
- **सूरजमुखी की खरीद**–रबी–2021–22 तथा 2022–23 के दौरान हैफेड ने यूनतम समर्थन मूल्य पर 3,382 मीट्रिक टन और 1,888 मीट्रिक टन की सूरजमुखी की खरीद की है।
- **उर्वरकों की आपूर्ति**–हैफेड ने यूरिया और डी.ए.पी. समय पर उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाई है। हैफेड ने वर्ष 2021–22 में 0.88 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.30 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. की आपूर्ति की है। हैफेड द्वारा वर्ष 2022–23 (31–10–2022 तक) 0.54 लाख मीट्रिक टन यूरिया तथा 0.46 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी. बेचा गया है।
- **चीनी मिल असन्ध**–वर्ष 2021–22 के दौरान हैफेड चीनी मिल असन्ध ने 34.31 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की है तथा 8.42 प्रतिशत चीनी की रिकवरी की है। वर्ष 2021–22 में चीनी मिल असन्ध का 155.84 करोड़ रूपये का कारोबार रहा।
- **प्रमाणित गेहूं बीज का विपणन**–हैफेड ने वर्ष 2022–23 (31–10–2022 तक) के दौरान 1,397.03 करोड़ रूपये के कारोबार तथा 56 करोड़ के लाभ के साथ 37,275.60 क्विंटल गेंहू के बीज की बिक्री की।
- **उपभोक्ता उत्पादों का विपणन**–हैफेड द्वारा वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 (31–12–2022) के दौरान क्रमशः 341.84 करोड़ रुपये (जिसमें 5.40 करोड रूपये निर्यात के शामिल हैं) तथा 356 करोड रूपये के उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री की गई।
- **निर्यात**–हैफेड ने 85,000 मीट्रिक टन बासमती चावल में से 20,000 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात का आदेश सुनिश्चित मैर्सस सलेह बाबाकर संस कम्पनी, रियाद, सउदी अरब के साथ किया है और शेष 65,000 मीट्रिक टन बासमती चावल प्रगति पर है जोकि जल्दी पूरा कर लिया जायेगा।

3.126 हैफेड की एक नई परियोजनाएं/पहल

- तेल मिलों नारनौल और रेवाड़ी का आधुनिकीकरण और नई रामपुरा (रेवाड़ी) में तेल मिल की स्थापना।
- जाटूसाना (रेवाडी) में नई आटा मिल की स्थापना और मौजूदा आटा मिल तरावड़ी का आधुनिकीकरण।
- तरावड़ी मे प्रति वर्ष 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले फोर्टिफाइड चावल कर्नेल यूनिट की स्थापना।
- हैफेड द्वारा बड़ौदा (सोनीपत), रानिया (सिरसा), लाडवा (कुरूक्षेत्र), ढांड (कैथल) और रादौर मे नई चावल मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
- हैफेड द्वारा रादौर (यमुनानगर) में हल्दी प्लांट की स्थापना
- हैफेड कॉम्प्लेक्स कैथल में 5 टन प्रति घंटा क्षमता के साथ आधुनिक बीज प्लांट लगाया जाएगा।

हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

3.127 हरियाणा राज्य भण्डारण निगम 01–11–1967 को अस्तित्व में आया। यह संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य किसानों एजैंसियों, सार्वजनिक उद्यमों, व्यापारियों आदि को कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है और गोदामों में जमा माल के बदले क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना के समय, इसके पास अपने गोदामों की केवल 7,000 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता थी। वर्तमान में 31–10–2022 तक निगम राज्य में 113 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिसमें से 107 स्वामित्व वाले और 6 गोदाम प्रबंधन के आधार पर राज्य भर में 18.44 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ हैं, जिसमें 18 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवरड गोदाम और 0.44 लाख मीट्रिक टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है। वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और इसका उपयोग **तालिका 3.21** में दिया गया है।

तालिका 3.21– वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और उपयोग

वर्ष	औसत भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन)	औसत उपयोगिता (मीट्रिक टन)	उपयोगिता की प्रतिशत्ता	गोदामों की संख्या
2017-18	1659545	1405766	85	111
2018-19	1968878	1910380	97	111
2019-20	2258607	2311621	102	111
2020-21	2182591	2061331	94	111
2021-22	2145345	1887626	88	112
2022-23 (31–10–2022 तक)	1859614	1165891	63	113

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन।

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो

3.128 निगम हरियाणा के आयातकों व निर्यातकों और पड़ोसी राज्यों के आसपास के क्षेत्र में लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए रेवाड़ी में एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.)–सह– कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) संचालित कर रहा है। यद्यपि, आई.सी.डी.– सह–सी.एफ.एस. रेवाड़ी का संचालन कॉनकोर द्वारा 01–11–2008 से कोनकोर (भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी) के साथ एक रणनीतिक गठबंधन समझौते के तहत किया जा रहा था। अब 01–01–2021 से आई.सी.डी.–सह–सी.एफ.एस., रेवाड़ी का संचालन नए सामो यानि मैसर्स एस.सी.एम. एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इन्लैंड कंटेनर डिपो, रेवाड़ी 18–12–2009 से इलैक्ट्रानिक डेटा इंटर चेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली के माध्यम से दुनिया से ऑनलाईन जुड़ा हुआ है।

विस्तार सेवा योजनाएं

3.129 निगम दो विस्तार सेवा योजनाएं चला रहा है, जैसे कीटाणु शोधन विस्तार सेवा योजना (डी.ई.एस.एस.) और किसान विस्तार सेवा योजना (एफ.ई.एस.एस.)। किसान विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत निगम किसानों को कृषि उपज के वैज्ञानिक भण्डारण व कीटाणु शोधन उपायों के बारे में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करता है। गोदाम के कर्मचारी वैज्ञानिक भंडारण के लाभों से किसानों को परिचित कराने और प्रमाणित करने के लिए आसपास के गांवों का दौरा करते है। वर्ष 2020–21 के दौरान 223 गांवों में 2,958 किसानों को शिक्षित किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान निगम के तकनीकी कर्मचारियों ने इस योजना के तहत 95 गाँवों को कवर किया और 31–03–2022 तक 1,015 किसानों को उनके खाद्यान्न के वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित किया और लाभ के बारे में परिचित कराने के अलावा कीटाणुशोधन उपायों का भी

प्रदर्शन किया। कीटाणुरहित विस्तार योजना के अन्तर्गत किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों और अन्य लोगों के स्टॉक को उनके अपने घरों/गोदामों में कीटाणु रहित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, 1,155 लोगों ने इस योजना से लाभ उठाया और निगम ने इस योजना के तहत 14,58,340 लाख रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 5,56,805 रूपये कमाए। चालू वित वर्ष 2022–23 के दौरान निगम ने डी.ई.एस.एस. के तहत 15,75,000 रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 6,13,468 रूपये की राशि अर्जित की है और 30–09–2022 तक 680 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है।

वित्तीय उपलब्धियां

3.130 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निगम ने कर पूर्व 3,211 लाख रूपये का तथा कर पश्चात 3,144 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया है। निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए गेंहू, धान और बाजरा की खरीद के लिए राज्य एजैन्सियों में से एक है। अक्तूबर, 2014 से निगम बाजरा, मूंग, सरसों, सूरजमुखी तथा चना भी खरीदता है। गेंहू और धान के खरीद की 5 वर्षें की स्थिति **तालिका 3.22** में दी गई है।

तालिका 3.22– निगम की खरीद की स्थिति

(रूपये लाख में)

विवरण	गेंहू			धान		
	एचएसडब्ल्यूसी द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता	एचएसडब्ल्यूसी द्वारा खरीद	राज्य की कुल खरीद	खरीद की प्रतिशतता
2018–19	15.60	87.26	17.88	7.96	58.65	13.57
2019–20	15.38	93.05	16.53	9.45	64.71	14.60
2020–21	12.97	74.00	17.56	8.64	56.06	15.43
2021–22	16.09	84.93	18.94	10.35	55.30	18.71
2022–23 (31–10–2022 तक)	6.92	41.80	16.50	9.18	–	–

स्त्रोतः हरियाणा स्टेट वेयरहाऊसिंग कॅारपोरेशन।

हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड

3.131 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना मार्किट कमेटियों की देख रेख के उद्वेश्य से 1 अगस्त, 1969 को की गई थी। इसकी स्थापना से अब तक अनाज की खरीद के लिए 114 मुख्य यार्ड, 172 सब यार्ड तथा 204 खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 4,949 ग्रामीण सडकों का एक नेटवर्क भी बना रखा है, जिनकी लम्बाई 12,570 कि.मी. है जो कि गांवों के बीच और मंडियों तक जाती है, ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज को मंडियों तक लाने में सुविधा हो।

3.132 सरकार द्वारा एच.आर.डी.एफ. के तहत 5 करम चौडाई वाले रास्तों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 150 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्षवार नई लिंक सड़कों तथा विशेष मरम्मत की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण **तालिका 3.23** में दिया गया है।

3.133 नई पहल

- पिजौंर में सेब, फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण–हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिजौंर में 150 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है। इस मंडी के निर्माण कार्य के 31–05–2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस मंडी में व्यापार आगामी सेब सीजन में शुरू होनें की सम्भावना है।

तालिका 3.23– नई लिंक रोड व विशेष मरम्मत के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष	विवरण	लक्ष्य		उपलब्धियां		स्वीकृत बजट (करोड़ रूपये में)	खर्च (करोड़ रूपये में)
		भौतिक (कि.मी. में)	वित्तीय (करोड़ रूपये में)	भौतिक (कि.मी. में)	वित्तीय (करोड़ रूपये में)		
2020-21	नई सम्पर्क सड़कें	280	100.00	683	190.89	100.00	190.89
	विशेष मरम्मत	560	83.25	724	139.76	83.25	139.76
2021-22	नई सम्पर्क सड़कें	400	176.75	430	140.88	176.75	140.88
	विशेष मरम्मत	600	90.00	998	216.00	90.00	216.00
2022-23 (31.12.22 तक)	नई सम्पर्क सड़कें	400	190.00	307	112.32	190.00	112.32
	विशेष मरम्मत	600	100.00	1160	195.16	100.00	195.16
2023-24	नई सम्पर्क सड़कें	400	190.00	-	-	-	-
	विशेष मरम्मत	600	100.00	-	-	-	-

स्त्रोतः हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

- गुरूग्राम में फूल मंडी की स्थापना–इस मंडी के निर्माण हेतु जी.एम.डी.ए. की सैक्टर 52–ए गुरूग्राम में 8.26 एकड भूमि चिन्हित की गई है जोकि योजनाकार विभाग की विकास योजना 2031 के अन्तर्गत "ओपन स्पेश जोन" में आता है। भूमि को "ओपन स्पेश जोन" से मिक्स लेड यूज में बदलने हेतू प्रक्रिया जारी है।
- सेरसा में सूखे मेवों तथा मसाला मंडी की स्थापना– दिल्ली के भीड़भाड़ वाले व्यस्त खारी बावली बाजार से सूखे मेवों तथा मसालों को स्थानांत्रित करने के उद्वेश्य से एच.एस.आई.आई.डी.सी. के साथ मिलकर सोनीपत में मसाला बाजार की स्थापना की जा रही है।
- भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर जिला सोनीपत का विकास–हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2007–08 व 2012–13 के दौरान गन्नौर (सोनीपत) में भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय बागवानी मंडी (आई. आई.एच.एम.) बनाने हेतु 544 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि लगभग 180 करोड़ रूपये की लागत से अधिकृत की गई। प्रस्तावित बागवानी मंडी में देश के फल व सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा व उनकी आय मे वृद्दि हेतु व्यापार की सभी विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगीं। यह मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर प्रस्तावित है जो अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है, तथा दिल्ली की बाहरी पूर्वी व पश्चिमी पैरीफिल एक्सप्रेसवे से 25 किलोमीटर की दूरी पर है।

3.134 सिरसा में 57 एकड़ भूमि पर व ऐलनाबाद में 29 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त अनाज मंडी बनाने की प्रक्रिया जारी है। इन मंडियों के विकास कार्यो के आगामी वित्त वर्ष 2023–24 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

3.135 ई–नैम– राष्ट्रीय कृषि बाजार ई–नैम की परिकल्पना एक अखिल भारतीय इलैक्ट्रोनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में की गई है, जो कृषि वस्तुओं के लिए एक वैश्विक बाजार मंच बनाने के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी. और अन्य मार्केट यार्ड को जोडना चाहता है। इस योजना में एक उपयुक्त सामान्य ई–मार्केट प्लेटफार्म की स्थापना करके ई–नैम के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है, जो ई–प्लेटफार्म में शामिल होने के इच्छुक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चयनित 585 विनियमित थोक बाजार में तैनात किया जा सकेगा। हरियाणा देश के उन 18 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों मे शामिल है जिन्होनें ई–नैम को लागू किया है। हरियाणा राज्य की 81 मंडियों को ई–नैम पोर्टल से वर्ष 2020 में जोडा जा चुका है तथा बकाया 27 मंडियों को ई–नैम पेार्टल से दिसम्बर, 2022 को जोड़ दिया गया है।

3.136 अटल किसान–मजदूर कैंटीन– हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों तथा मजदूरों को 10 रूपये में रियायती दर पर दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में अटल किसान–मजदूर कैंटीन स्थापित किए गए है। अन्य 15 मंडियों में भी इसी प्रकार की कैंटीन बनाने की प्रक्रिया जारी है।

***